

## सत्यापन

में \_\_\_\_\_ (बड़े अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री .....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि विवरणी में दी गई सूचना और अनुसूचियाँ मेरे सर्वाधिकतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसरण में सही और पूर्ण हैं।

में यह और घोषणा करता हूँ कि मैं यह विवरणी ..... (ड्राप डाउन प्रदान करें) की क्षमता में प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं एक स्थाई खाता संख्या ..... धारक हूँ (यदि आबंटित हों) (कृपया अनुदेश देखें)

में यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहाँ धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख \_\_\_\_\_ स्थान \_\_\_\_\_ यहाँ हस्ताक्षर करें →

प्रारूप	आकवि -6	भारतीय आयकर विवरणी [धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों से भिन्न कम्पनियों के लिए] [आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखें] (कृपया अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ग					
			2	0	2	3	-	2

## भाग क-साधारण

## साधारण

व्यक्तिगत सूचना	(क1) नाम				(क2) स्थायी लेखा सं0				
	(क3) क्या कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें				(क4) कारपोरेट पहचान संख्या (का.प.स.) एम.सी.ए. द्वारा जारी				
	(क8) फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं0	(क9) परिसर/भवन/ग्राम का नाम	(क5) निगमन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		(क6) कारबार के प्रारंभ की तारीख (दिन/मास/वर्ष)				
	(क10) सड़क /मार्ग/डाक घर	(क11) क्षेत्र/अवस्थान		/ /		/ /			
	(क12) कस्बा/शहर/जिला	(क13) राज्य	(क14) पिन कोड / ज़िप कोड		(क7) कंपनी का प्रकार (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>				
		देश			(i) देशी कंपनी <input type="checkbox"/>				
					(ii) विदेशी कंपनी <input type="checkbox"/>				
					यदि पब्लिक कंपनी है तो 6, लिखें, और यदि प्राइवेट कंपनी हैं तो 7 लिखें (कंपनी अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित) <input type="checkbox"/>				
	(क15) कार्यालय की दूरभा-1 संख्या एसटीडी कोड सहित/मोबाइल नं0-1				(क16) मोबाइल नं0-2				
	(क18) ई मेल पता-2								
फाइल करने की प्राप्ति	(क19) धारा के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखें]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ-उपांतरित विवरणा, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलम्ब की माफी के पश्चात् <input type="checkbox"/> 170क - प्राधिकरण अथवा न्यायालय द्वारा आदेश के पश्चात्							
	या धारा के अधीन सूचना के उत्तर में फाइल की गयी है	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153ग							
	(ख) यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी फाइल करने की प्राप्ति संख्या और तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)	_ / _ / _							
	(ग) यदि धारा 139(9)/142(1)/148/ 153ग के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 119(2)(ख) या धारा 170क में संदर्भित आदेश के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई हो तो कृपया यूनिक संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या तथा ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत भरी गई तो अग्रिम मूल्य निर्धारण करार की तारीख भरें।	/ /							
	(घ) आवासीय प्राप्ति (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी								
(ड.) क्या आपने धारा 115खक/115खकक/115खकख के तहत कराधान का विकल्प चुना है ? (ई फाइलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन है) (घरेलू कंपनी पर लागू) यदि हां, कृपया नि.व. का वर्णन करें जिसमें उक्त विकल्प का पहली बार प्रपत्र (10-अ ख / 10- अ ग / 10- अ घ) तथा पावती संख्या के साथ उपयोग किया गया है यदि नहीं, क्या इस वर्ष के लिए विकल्प चुना है? हां नहीं यदि हां, कृपया पत्र 10-अ ख / 10- अ ग / 10- अ घ दाखिल करने की तिथि बताएं									

(च)	क्या पिछले वर्ष 2020-21 में कुल व्यापारवर्त/सकल प्राप्तियां 400 करोड़ रुपये से अधिक हैं? (हाँ/नहीं) (घरेलू कंपनी के लिए लागू होना)	
(छ)	क्या निर्धारित देश का या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसके साथ भारत ने धारा 90(1) में निर्दिष्ट करार किया है या केन्द्रीय सरकार ने 90क(1) के अधीन कोई करार किया है का निवासी है ?	
(ज)	अनिवासी की दशा में, क्या भारत में स्थायी स्थापन है ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(झ)	अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस.ई.पी) है ? (चिन्ह) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेन-देन से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या	
(ञ)	क्या निर्धारित से कम्पनियों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहना अपेक्षित है ? यदि हां, कृपया विवरण दें .	
(ट)	क्या कंपनियों के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियम) 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के तैयार किए गए हैं (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(ठ)	क्या निर्धारित की अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
(ड)	क्या निर्धारित कम्पनी समापन के अधीन है (सही का निशान) <input checked="" type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
(ढ)	क्या एफ.आई.आई/एफ.पी.आई है? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रीकरण सं0 बताएं	
(ण)	क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581क में यथापरिभाषित उत्पादक कंपनी है ? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	क्या निर्धारित के प्रतिनिधि द्वारा यह विवरणी फाइल की जा रही है? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें -	
(1)	निर्धारित के प्रतिनिधि का नाम	
(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्रॉप डाउन का उल्लेख करें)	
(3)	निर्धारित के प्रतिनिधि का पता	
(4)	निर्धारित के प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या	
(त)	क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट अप के रूप में मान्यताप्राप्त हैं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
1	यदि हां, तो कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आर्बिट्रि स्टार्ट अप मान्यता सं. का उल्लेख करें	
2	क्या अन्तर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
3	यदि हां, तो प्रमाणन संख्या का उल्लेख करें	
4	क्या डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा 5 के अनुसार प्ररूप-2 में घोषणा विवरणी के फाइल किए जाने से पूर्व फाइल की गई है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
5	यदि हां, तो प्ररूप-2 फाइल करने की तारीख का उल्लेख करें	
(क1)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(क2)	क्या निर्धारित धारा 44कड./44ख/44खख/44खखख/44घ के अंतर्गत ही आय की घोषणा कर रहा है निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(क2i)	यदि नहीं, वर्ष के दौरान क्या व्यवसाय की कुल बिक्री/टर्नओवर/सकल प्राप्तियां रु. 1 करोड़ या 10 करोड़ के मध्य है? (निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक नहीं <input type="checkbox"/> टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक	
(क2ii)	क2i पर यदि हां का चयन किया गया है, क्या समस्त प्राप्त राशि का कुल योग जिसमें बिक्री टर्नओवर अथवा सकल प्राप्तियां अथवा पूंजीगत खाते जैसे कि पूंजीगत योगदान, ऋण इत्यादि पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान राशि शामिल है, नकद में तथा गैर खाता पेयी चेक/ डी.डी उक्त राशि से पांच प्रतिशत से अधिक न हो (निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(क2iii)	क2i पर यदि हां का चयन किया गया है क्या भुगतान का कुल योग व्यय के लिए सम्मिलित राशि अथवा पूंजीगत खाता जैसे कि परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋण का भुगतान इत्यादि एवं गैर खाता पेयी चेक /डी.डी पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान नकद में उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(ख)	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (प्रणाली को टिप्पणी : यदि टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक हो यह स्वतः ही होना चाहिए)	
(ग)	यदि (ख) है, तो क्या लेखाओं की लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई है ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(1)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने की तारीख का उल्लेख (दिन/मास/वर्ष)	

	(2)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम			
	(3)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या			
	(4)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)			
	(5)	स्वत्वाधिकार/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं०			
	(6)	लेखा परीक्षक (संपत्तिक/ फर्म) का स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) / आधार सं.			
	(7)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख			
(घा)	क्या आप धारा 92ड के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं				
(घाii)	यदि (घझ) हां है, क्या धारा 93 अ के अधीन खातों को संपरीक्षित किया गया है	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		लेख परीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख दि./मा./वर्ष	
(घाiii)	यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें [कृपया अनुदेश 5 देखें]				
		क्र. सं.	अनुभाग कोड	तारीख (दिन/मास/वर्ष)	
ड	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ?				
	अधिनियम और धारा		(दिन/मास/वर्ष)	अधिनियम और धारा	
(क)	कंपनी का स्वरूप (यदि नियंत्रित कंपनी है तो 1 चयन करें, यदि समनु-ंगी कंपनी है तो 2 चयन करें), यदि दोनों हैं तो 3 चयन करें, यदि कोई अन्य है तो 4 चयन करें				
(ख)	यदि समनु-ंगी कंपनी है तो, का उल्लेख करें				
	पैन	धारक कंपनी का नाम	धारक कंपनी का पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	
(ग)	यदि धारक कंपनी है तो समनु-ंगी कंपनी का उल्लेख करें				
	पैन	समनु-ंगी कंपनी का नाम	समनु-ंगी कंपनी का पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	
(क)	समामेलक कंपनी की दशा में, सामामेलित कंपनी का उल्लेख करें				
	पैन	समामेलक कंपनी का नाम	समामेलक कंपनी का पता	समामेलन की तारीख	
(ख)	समामेलित कंपनी की दशा में, सामामेलक कंपनी का उल्लेख करें				
	पैन	समामेलित कंपनी का नाम	समामेलित कंपनी का पता	समामेलन की तारीख	
(ग)	अवीलीन कंपनी की दशा में, परिणामिक कंपनी के ब्यौरे दें				
	पैन	परिणामिक कंपनी का नाम	परिणामिक कंपनी का पता	निर्विलियन की तारीख	
(घ)	परिणामिक कंपनी की दशा में, अवीलीन कंपनी के ब्यौरे दें				
	पैन	अवीलीन कंपनी का नाम	अवीलीन कंपनी का पता	निर्विलियन की तारीख	
प्रमुख व्यक्ति	उन प्रबंध निदेशक, निदेशक, सचिव तथा प्रधान अधिकारियों के ब्यौरे जो पूर्व वर्ष के दौरान कार्यालय में रहे हैं और पात्र व्यक्तियों के ब्यौरे जो विवरणी को सत्यापित कर रहे हैं				
	क्रम सं०	नाम	पदनाम	आवास का पता	स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार सं.
					निदेशक की दशा में, एमसीए द्वारा जारी निदेशक पहचान संख्यांक (नि.प.सं)
शेयरधारक की सूचना	उन व्यक्तियों की विशी-टियां, जो पूर्व वर्ष में किसी समय दस प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति शेयर धारण के फायदाप्रद स्वामी थे ।				
	क्रम सं०	नाम और पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित है)	

असूचीबद्ध कंपनी के मामले में, प्राकृतिक व्यक्तियों की विशिष्टियां जिन्हें पूर्व वर्ष किसी भी समय मत शक्ति के 10% से अन्यून शेयर धारकों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असीमित हितधारी स्वामी थे ।					
क्रम सं०	नाम	पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी लेखा संख्यांक/आधार सं.(यदि आबंटित किया गया है)	
विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया अव्यवहित मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें ।					
क्रम सं०	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)	निवास के देश में आबंटित करदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या
विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया क्रमांतिम कंपनी मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें ।					
क्रम सं०	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)	निवास के देश में आबंटित करदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या
कंपनी का स्वरूप					
					(निशान लगाए) <input checked="" type="checkbox"/>
1	क्या आप आयकर अधिनियम की धारा 2(36क)में यथा परिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
2	क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्वाधीन वाली कंपनी हैं				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
3	क्या आप ऐसी कंपनी हैं, जिसमें चालीस प्रतिशत से अन्यून शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उस बैंक के स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा (एकमात्र रूप से या साथ मिलकर) धारित किए हुए हैं ।				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
4	क्या आप बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी है				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
5	क्या आप अनुसूचित बैंक हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक है				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
6	क्या आप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कंपनी है (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित)				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
7	क्या आप गैर बैंककारी वित्तीय संस्थान की कंपनी है				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
8	क्या कंपनी सूचीबद्ध है ? यदि हां, कृपया अनुसूची-धज-1 और अनुसूची-कठ-1 को भरना सुनिश्चित करें				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
कारबार या वृत्ति की प्रकृति यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य कृत्व/उत्पाद उपदर्शित करें (उनसे भिन्न, जो धारा 44कड के अधीन आय की घोषणा करते हैं)					
क्र.सं.	कोड [कृपया अनुदेश संख्या 7 (ii) देखें]	वर्णन			
(i)					
(ii)					
(iii)					

स्वामित्व संबंधी जानकारी

कंपनी का स्वरूप और उसका कारबार

## भाग क-तुलन पत्र

31 मार्च, 2023 को या सम्मेलन की तारीख को तुलन पत्र

साधारण पूंजी और दायित्व	I साधारण पूंजी और दायित्व						
	1	शेयर धारक की निधि					
		क शेयर पूंजी					
		i	प्राधिकृत	कां			
		ii	पुरोधृत, अभिदत्त और पूर्णतः संदत्त	कांii			
	iii	अभिदत्त, किन्तु पूर्णतः संदत्त नहीं	कांiii				
	iv	कुल( कां + कांiii)	कांiv				

ख	आरक्षिति और अधिशे-1			
	i	पूँजी आरक्षिति	खां	
	ii	पूँजी मोचन आरक्षिति	खांii	
	iii	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षिति	खांiii	
	iv	डिबेन्चर मोचन आरक्षिति	खांiv	
	v	पुर्नमूल्यांकन आरक्षिति	खv	
	vi	शेयर विकल्प बकाया रकमे	खvi	
	vii	अन्य आरक्षिति (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
		क	viiक	
		ख	viiख	
		ग	कुल (viiक+viiख)	खvii
	viii	अधिशे-1 अर्थात् लाभ और हानि लेखा के लेखे में अतिशे-1 (नामों पक्ष का अतिशे-1 ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)	खviii	
	ix	कुल (खां + खांii + खांiii + खांiv + खv + खvi + खvii + खviii)		खांix
		(नामों पक्ष का अतिशे-1 यथा ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)		
ग	शेयर अधिपत्रों से प्राप्त रकम			1 ग
घ	शेयर धारक की कुल निधि (कांiv + खांix+1 ग)			1 घ
2	शेयर आवेदन की रकम, जिसका आबंटन लंबित है			
	i	एक वर्ग से कम से लंबित है	i	
	ii	एक वर्ग से अधिक से लंबित है	ii	
	iii	कुल (i+ii)		2
3	स्थगित दायित्व			
	क	दीर्घकालिक उधार		
		i	बंधपत्र/डिबेन्चर	
		क	विदेशी मुद्रा	i क
		ख	रुपया	i ख
		ग	कुल (i क +ii ख)	i ग
	ii	आवधिक ऋण		
		क	विदेशी मुद्रा	iiक
		ख	ऋण रूप में	
		1	बैंकों से	ख1
		2	अन्य से	ख2
		3	कुल (ख1+ख2)	ख3
		ग	कुल आवधिक ऋण (iiक+ख3)	iiग
	iii	आस्थगित भुगतान का दायित्व		iii
	iv	संबंधित पक्षकारों से निक्षेप (अनुदेशों को देखें)		iv
	v	अन्य निक्षेप		v
	vi	संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें)		vi
	vii	अन्य ऋण और अग्रिम		vii
	viii	दीर्घकालिक वित्तपो-ण पट्टा अनुबंध पत्र की परिपक्वता		viii
	ix	कुल दीर्घकालिक (iग+iiग+iii+iv+v+vi+vii+viii)		3क
ख	आस्थगित कर दायित्व (कुल)			3ख
ग	अन्य दीर्घकालिक दायित्व			
	i	व्यापार संदेय	i	
	ii	अन्य	ii	
	iii	कुल अन्य दीर्घकालिक दायित्व (i+ii)		3ग
घ	दीर्घकालिक विनिधान			
	i	कर्मचारियों के फायदे के लिए विनिधान	i	
	ii	अन्य	ii	
	iii	कुल (i+ii)		3घ
ङ	कुल स्थगित दायित्व (3क+3ख+3ग +3घ)			3ङ

4	चालू दायित्व				
	क	अल्पकालिक उधार			
		i	मांग पर प्रतिसंदेय ऋण		
			क	बैंकों से	i क
			ख	गैर-बैंककारी कंपनियों से	i ख
			ग	अन्य वित्तीय संस्थाओं से	i ग
			घ	अन्य से	i घ
		ड	कुल प्रतिसंदेय ऋण, मांगे जाने पर (i क+i ख+i ग+i घ)		i ड
		ii	संबंधित पक्षकारों से प्राप्त निक्षेप (अनुदेशों को देखें)		ii
		iii	संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें)		iii
iv	अन्य ऋण और अग्रिम		iv		
v	अन्य निक्षेप		v		
vi	कुल अल्पकालिक उधार ( i ड+ii+iii+iv+v )		4क		
ख	व्यवसाय संदेय				
i	एक वर्ग से अधिक के लिए बकाया		i		
	ii अन्य		ii		
	iii कुल व्यवसाय संदेय ( i+ii )		4ख		
ग	अन्य चालू दायित्व				
i	दीर्घकालिक ऋण की प्रचलित परिपक्वता		i		
	ii वित्तपोषण पट्टा अनुबंध पत्र की प्रचलित परिपक्वता		ii		
	iii उधार पर प्रोद्भूत ब्याज जो शोध्य नहीं है		iii		
	iv उधार पर प्रोद्भूत और शोध्य ब्याज		iv		
	v अग्रिम में प्राप्त आय		v		
	vi असंदत्त लाभांश		vi		
	vii प्रतिभूति के आबंटन के लिए आवेदन हेतु प्राप्त हुई रकम तथा प्रतिदाय और उस पर प्रोद्भूत ब्याज के देय		vii		
	viii असंदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर प्रोद्भूत ब्याज		viii		
	ix असंदत्त डिबेंचर और उस पर प्रोद्भूत ब्याज		ix		
	x अन्य संदेय		x		
	xi कुल अन्य चालू दायित्व (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x)		4ख		
घ	अल्पकालिक उपबंध				
i	कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए उपबंध		i		
	ii आय-कर के लिए उपबंध		ii		
	iii प्रस्तावित लाभांश		iii		
	iv लाभांश पर कर		iv		
	v अन्य		v		
	vi कुल अल्पकालिक उपबंध (i + ii +iii + iv + v)		4घ		
ड	कुल चालू दायित्व (4क + 4ख + 4ग + 4घ)		4ड		
कुल शेयर और दायित्व (1घ + 2 + 3ड + 4ड)			।		
II	आस्तियां				
1	गैर-चालू आस्तियां				
	क	स्थिर आस्तियां			
		i	मूर्त आस्तियां		
			क	सकल ब्लाक	i क
			ख	अवक्षयण	i ख
			ग	हास से हुई हानियां	i ग
			घ	शुद्ध ब्लाक (i क- i ख - i ग )	i घ
		ii	अमूर्त आस्तियां		
		क	सकल ब्लाक	ii क	

		ख	क्रमिक अपाकरण	iiख			
		ग	हास से हुई हानियां	iiग			
		घ	शुद्ध ब्लाक (iiक- iiख - iiग )	iiघ			
		iii	पूँजीगत चालू काम	iii			
		iv	विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां	iv			
		v	कुल स्थिर आस्तियां (iघ + iiघ + iii + iv)			क v	
ख	गैर-चालू विनिधान						
		i	संपत्ति में विनिधान	i			
		ii	शेयर लिखतों में विनिधान				
		क	सूचीबद्ध शेयर	iiक			
		ख	गैर-सूचीबद्ध शेयर	iiख			
		ग	योग (ii क + ii ख )	iiग			
		iii	अधिमानी शेयरों में विनिधान	iii			
		iv	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान	iv			
		v	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान	v			
		vi	पारस्परिक निधियों में विनिधान	vi			
		vii	भागोदारी फर्मों में विनिधान	vii			
		viii	अन्य विनिधान	viii			
		ix	कुल गैर-चालू विनिधान (i + ii क + iii + iv + v + vi + vii + viii)			खाix	
ग	आरथगत कर आस्तियां (शुद्ध)						ग
घ	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम						
		i	पूँजी अग्रिम	i			
		ii	प्रतिभूति निक्षेप	ii			
		iii	संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम (अनुदेश देखें)	iii			
		iv	अन्य ऋण और अग्रिम	iv			
		v	कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii + iii + iv)			घ v	
		vi	घv में सम्मिलित दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, जो				
		क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है	vi क			
		ख	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है	vi ख			
		ग	आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है	vi ग			
घ	अन्य गैर-चालू आस्तियां						
		i	दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य				
		क	प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	i क			
		ख	गैर-प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	i ख			
		ग	शंकास्पद	i ग			
		घ	कुल अन्य गैर-चालू आस्तियां (i क + i ख + i ग)	i घ			
		ii	अन्य	ii			
		iii	योग (i घ + ii)			डii	
		iv	ड iii में सम्मिलित कुल गैर-चालू आस्तियां, जो आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक से, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान से या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, देय है	iv			
		ड.	कुल गैर-चालू आस्तियां (कv + खाix + ग+ घv + डii)			1 च	
2	चालू आस्तियां						
		क	चालू विनिधान				
		i	शेयर लिखतों में विनिधान				
		क	सूचीबद्ध शेयर	i क			
		ख	गैर-सूचीबद्ध शेयर	i ख			
		ग	योग (i क + i ख)	i ग			

	ii	अधिमानी शेयरों में विनिधान	ii		
	iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान	iii		
	iv	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान	iv		
	v	पारस्परिक निधियों में विनिधान	v		
	vi	भागीदारी फर्मों में विनिधान	vi		
	vii	अन्य विनिधान	vii		
	viii	कुल चालू विनिधान (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)			कviii
ख		संपत्ति-सूची			
	i	कच्चा माल	i		
	ii	चालू काम	ii		
	iii	तैयार माल	iii		
	iv	व्यवसाय - स्टॉक (व्यवसाय के लिए अर्जित माल)	iv		
	v	भंडार और स्पेयर	v		
	vi	खुले औजार	vi		
	vii	अन्य	vii		
	viii	कुल संपत्ति-सूची (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)			खviii
ग		व्यापार प्राप्य			
	i	6 मास से अधिक से बकाया	i		
	ii	अन्य	ii		
	iii	कुल व्यवसाय प्राप्य (i + ii + iii)			गiii
घ		नकदी और नकद समतुल्य			
	i	बैंक नकद	i		
	ii	चैक, ड्राफ्ट	ii		
	iii	नकद अतिशे-न	iii		
	iv	अन्य	iv		
	v	कुल नकदी और नकद समतुल्य (i + ii + iii + iv)			घv
ङ		अल्पकालिक ऋण और अग्रिम			
	i	पक्षकारों से संबंधित ऋण और अग्रिम (अनुदेशों देखें)	i		
	ii	अन्य	ii		
	iii	कुल अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii)			ङiii
	iv	ङiii में सम्मिलित अल्पकालिक ऋण और अग्रिम, जो			
		क कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है	ivक		
		ख कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है	ivख		
		ग आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ङ) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है	ivग		
	च	अन्य चालू आस्तियां			च
	छ	कुल चालू आस्तियां (कviii + खviii + गiii + घv + ङiii + च)			2छ
		कुल आस्तियां (1च+2छ)			II

भाग क-तुलन पत्र - भारतीय लेखा मानकों के रूप में

31 मार्च, 2023 को या व्यावसायिक संयोजन की तारीख के अनुसार [एक कंपनी के लिए लागू है, जिसका वित्तीय विवरण कंपनियों के उपाबंध (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में तैयार किए गए हैं]

I	साधारण शेयर और दायित्व				
1	साधारण शेयर				
	अ	साधारण शेयर पूंजी			
		i	प्राधिकृत	का	
		ii	जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से भुगतान किया गया	काii	
		iii	अभिदत्त लेकिन पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया	काiii	



	iv	कुल (कां + कांii)			क+iv	
आ	अन्य साधारण शेयर					
	i	अन्य रिजर्व				
	क	पूँजी विमोचन आरक्षित	क			
	ख	डिबेंचर विमोचन रिजर्व	ख			
	ग	शेयर विकल्प बकाया लेखा	ग			
	घ	अन्य (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)	घ			
	ड.	कुल अन्य भंडार (क+ख+ग+घ)	ड.			
	ii	प्रतिधारित आय (पी और एल के कथन नामों पक्ष का अतिशेष - वीई आंकड़े के रूप में दर्शित)	ii			
	iii	कुल (खण्ड. + ii) (डेबिट शेष राशि को -ve आंकड़े के रूप में दिखाया जाएगा)			खiii	
इ	कुल साधारण शेयर (क+iv + खiii)				1ग	
2	दायित्व					
अ	गैर मौजूदा दायित्व					
	I	वित्तीय दायित्व				
	उधारी					
	क	बांड या डिबेंचर				
	1	विदेशी मुद्रा	क 1			
	2	रुपए	क 2			
	3	कुल (1 + 2)			क 3	
	ख	उधार अवधि				
	1	विदेशी मुद्रा	ख 1			
	2	रुपया उधार				
		i	बैंकों से	i		
		ii	अन्य पार्टियों से	ii		
		iii	कुल (i + ii)	ख 2		
	3	कुल अवधि उधार (ख 1 + ख 2)			ख3	
ग	आस्थगित संदाय दायित्व				ग	
घ	निकोप				घ	
ड.	संबंधित पक्षों से उधार (अनुदेश देखें)				ड.	
च	वित्त पट्टा बाध्यता की दीर्घकालिक परिपक्वता				च	
छ	यौगिक वित्तीय लिखतों की दायित्व घटक				छ	
ज	अन्य उधार				ज	
झ	कुल उधारी (क 3 + ख 3 + ग + घ + ड. + च + छ + ज)				झ	
ञ	व्यापार उधार				ञ	
ट	अन्य वित्तीय दायित्व (उपबंधों के अधीन II में विनिर्दिष्ट के अलावा)				ट	
II	उपबंध					
	क	कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध	क			
	ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख			
	ग	कुल उपबंध			॥ग	
III	आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)				III	
IV	अन्य गैर-तात्कालिक दायित्व					
	क	अग्रिम	क			
	ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख			
	ग	कुल अन्य गैर-वर्तमान दायित्व			IVग	
	कुल गैर-वर्तमान देयताएं (झां + ज्ञ + झट + ॥ग + III + IVग)				2क	
B	वर्तमान दायित्व					
	I	वित्तीय दायित्व				
	i	उधारी				
	क	भाग पर लौटाने वाले उधार				



ड.	अन्य अमूर्त संपत्ति				
	क	सकल ब्लॉक	क		
	ख	उधारमुक्ति	ख		
	ग	क्षति नुकसान	ग		
	घ	शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)		ड.घ	
च	विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति			च	
छ	वाहक पौधों के अतिरिक्त अन्य जैविक आस्तियां				
	क	सकल ब्लॉक	क		
	ख	क्षति नुकसान	ख		
	ग	शुद्ध ब्लॉक (क+ ख )			छ.ग
ज	वित्तीय आस्तियां				
I	निवेश				
	i साधारण साम्या लिखत में निवेश				
	क	सूचीबद्ध साम्य	क		
	ख	असूचीबद्ध साम्य	ख		
	ग	कुल (क + ख)			ग
	ii	वरीयता शेयरों में निवेश	ii		
	iii	सरकार या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश	iii		
	iv	डिबेंचर या बांड में निवेश	iv		
	v	म्युचुअल फंड में निवेश	v		
	vi	साझेदारी फर्मों में निवेश	vi		
	vii	साझेदारी फर्मों में निवेश	vii		
	viii	कुल गैर-मौजूदा निवेश (iग + ii + iii + iv + v + vi + vii)			जा
II	व्यापार स्वीकार योग्य				
	क	व्यापार स्वीकार योग्य	क		
	ख	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ख		
	ग	संदिग्ध	ग		
	घ	कुल व्यापार प्राप्य			जा।
III	उधार				
	i	सुरक्षा निक्षेप	i		
	ii	संबंधित पक्षों को उधार (अनुदेश देखें)	ii		
	iii	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii		
	iv	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें (i + ii + iii))		जा।।	
	v	जा।। में शामिल उधार, जो कि-			
	क	व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए	vक		
	ख	व्यवसाय या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं	vख		
	ग	आयकर अधिनियम के खंड 2 (22) (ई) के अनुसार, शेयरधारक को शेयर के फायदेमंद स्वामी या किसी भी समुत्थान या इस तरह के शेयरधारक की ओर से / लाभ के लिए दिया गया है।	vग		
IV	अन्य वित्तीय आस्तियां				
	i	12 महीनों से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक निक्षेप	i		
	ii	अन्य	ii		
	iii	अन्य वित्तीय आस्तियां का कुल (i + ii)		ज IV	
झ	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)			झ	
ञ	अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति				
	i	पूँजीगत अग्रिम	i		
	ii	पूँजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम	ii		
	iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii		
	iv	कुल गैर-वर्तमान आस्तियां (i + ii + iii)		ञ	

	v	आय कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड.) के अनुसार गैर-वर्तमान आस्तियां जिनमें से ऊपर दिया गया है जो कि शेयरधारक, शेयर के फायदेमंद मालिक, या से इस तरह के शेयरधारक के रूप में किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ आस्तियां	v		
		कुल गैर - मौजूदा आस्तियां(कघ + ख + गघ + घग + ड.घ + चफ + छग + जा + जाII + जाIII + जाIV + झ + ज)			1
<b>2 वर्तमान आस्ति</b>					
	क	वर्तमान आस्ति			
	i	कच्चा माल	i		
	ii	कार्य प्रगति पर है	ii		
	iii	तैयार माल	iii		
	iv	स्टॉक-इन-ट्रेड (व्यापार के लिए प्राप्त वस्तुओं के संबंध में)	iv		
	v	स्टोर और पुर्जो	v		
	vi	ढीला टूल	vi		
	vii	अन्य	vii		
	viii	कुल तालिकाएं (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)			2क
<b>ख वित्तीय आस्तियां</b>					
<b>I निवेश</b>					
	i	साम्या लिखत में निवेश			
		क सूचीबद्ध साम्या	i क		
		ख असूचीबद्ध साधारण शेयर	i ख		
		ग कुल (i क + i ख)	i ग		
	ii	वरीयता शेयरों में निवेश	ii		
	iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश	iii		
	iv	डिबेंचर या बॉन्ड में निवेश	iv		
	v	म्युचुअल फंड में निवेश	v		
	vi	भागीदारी फर्मों में निवेश	vi		
	vii	अन्य निवेश	vii		
	viii	कुल वर्तमान निवेश (i ग + ii + iii + iv + v + vi + vii)			I
<b>II व्यापार स्वीकार योग्य</b>					
	i	सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	i		
	ii	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ii		
	iii	संदिग्ध	iii		
	iv	कुल व्यापार प्राप्य (i + ii + iii)			II
<b>III नकद और नकद समकक्ष</b>					
	i	बैंकों के साथ अतिशेष (नकद और नकद समकक्षों की प्रकृति)	i		
	ii	उपलब्ध चेक और ड्राफ्ट	ii		
	iii	हाथ में पैसा	iii		
	iv	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iv		
	v	कुल नकद और नकद समकक्ष (i + ii + iii + iv)			III
<b>IV उपरोक्त III के अतिरिक्त बैंक अतिशेष</b>					
<b>V उधार</b>					
	i	सुरक्षा निक्षेप	i		
	ii	संबंधित पक्षों को उधार (निर्देश देखें)	ii		
	iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii		
	iv	कुल उधार (i + ii + iii)			V
	v	जो उपरोक्त वी में शामिल उधार और अग्रिम हैं-			

	क	व्यापार या पेशे के उद्देश्य के लिए	vक		
	ख	व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए नहीं	vख		
	ग	आय कर अधिनियम की धारा 2(22)ड. के अनुसार शेयरधारक को दिया, लाभकारी मालिक होने के नाते के शेयर, या किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ का शेयरधारक	vग		
	VI	अन्य वित्तीय आस्तियां		VI	
		कुल वित्तीय आस्तियां (I + II + III + IV + V + VI)		2ख	
	ग	चालू कर आस्तियां (शुद्ध)		2ग	
	घ	अन्य मौजूदा आस्तियां			
	i	पूँजी अग्रिम के अतिरिक्त अन्य अग्रिम	i		
	ii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ii		
	iii	कुल		2घ	
		कुल चालू आस्तियां (2क+2ख+2ग+2घ)		2	
		कुल आस्तियां (1 + 2)		II	

## भाग क-

## विनिर्माण लेखा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विनिर्माण लेखा (उस दशा में मद 1 से मद 3 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)

1	विनिर्माणकारी खाते को डेबिट				
	क	प्रारम्भिक तालिका			
		i	कच्ची सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	i	
		ii	प्रगतिशील सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	ii	
		iii	योग (i + ii)		कiii
	ख	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हों, का योग)			ख
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी			ग
	घ	प्रत्यक्ष कर (घां + घांii + घांiii)			घ
		i	आवक वहन व्यय	i	
		ii	विद्युत् और ईंधन	ii	
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii	
	ड	कारखाना अधिव्यय			
		i	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i	
		ii	कारखाना किराया और दर	ii	
		iii	कारखाना बीमा	iii	
		iv	कारखाना ईंधन और विद्युत्	iv	
		v	कारखाना साधारण व्यय	v	
		vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi	
		vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)		डvii
	च	विनिर्माण खाते में किए गए विकलनों का योग (कiii+ख+ग+घ+डvii)			1च
2	अंत स्टॉक				
		i	कच्ची सामग्री	2i	
		ii	प्रगतिशील कार्य	2ii	
			योग (2i + 2ii)		2
3	व्यापार लेखा में उत्पाद किए गए-अंतरित किए गए माल की लागत (1च - 2)				3

## भाग क - व्यापार

## लेखा

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए व्यापार लेखा (उस दशा में मद 4 से मद 12 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)

4	प्रचालनों से प्राप्त राजस्व				
---	-----------------------------	--	--	--	--

व्यापार लेखा में विकल्प	क	विक्रय/सकल कारबार की प्राप्तियां (विवरणियाँ तथा प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)			
	i	माल का विक्रय	i		
	ii	सेवाओं का विक्रय	ii		
	iii	अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क		iii क	
		ख		iii ख	
		ग	योग (iii क + iii ख)	iii ग	
	iv	योग (i + ii + iii ग)			का iv
	ख	व्यवसाय से सकल प्राप्तियां			ख
	ग	विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क कर और उपकर			
		i	संघ उत्पाद कर	i	
		ii	सेवा कर	ii	
		iii	मूल्य वर्धितकर/विक्रय कर	iii	
		iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv	
		v	राज्य माल और सेवा कर (एससजीएसटी)	v	
		vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi	
		vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii	
		viii	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii	
	ix	योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)			गा ix
	घ	प्रचालनों से कुल राजस्व (का iv + ख + गा ix)			4 घ
5	तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक			5	
6	व्यापार खाते में जमाओं का योग (4 घ + 5 iv)			6	
7	तैयार मालों का आरम्भिक स्टॉक			7	
8	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)			8	
9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)			9	
	i	आवक वहन व्यय	i		
	ii	विद्युत और ईंधन	ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण : प्रत्यक्ष कर की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है	iii		
10	क्रय किए गए माल और सेवाओं के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर				
	i	सीमा शुल्क	10i		
	ii	प्रतिरोधी शुल्क	10ii		
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii		
	iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv		
	v	सेवा कर	10v		
	vi	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	10vi		
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii		
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एससजीएसटी)	10viii		
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix		
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x		
	xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi		
xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)			10xii	
11	विनिर्माण खाते से उत्पादित-उपांतरित माल की लागत			11	
12	कारबार/व्यवसाय से लाभ और हानि लेखा में अंतरित सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)			12	
12क	दिनभर व्यापार से आवर्त			12क	

12ख	दिन भर व्यापार से आय - लाभ व हानि लेख में अंतरित	12ख
-----	--	-----

## भाग क - लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभ और हानि लेखा (उस दशा में मद 13 से मद 60 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)

13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ 12 + 12ख		13	
14	अन्य आय			
	i	किराया	i	
	ii	कमीशन	ii	
	iii	लाभांश आय	iii	
	iv	ब्याज आय	iv	
	v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v	
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ	vi	
	vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ	vii	
	viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii	
	ix	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)	ix	
	x	कृषि आय	x	
	xi	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
		क	xiक	
		ख	xiख	
		ग	योग (xiक + xiख)	
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)		14xii
15	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii)		15	
16	जावक भाड़ा		16	
17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग		17	
18	विद्युत और ईंधन		18	
19	किराया		19	
20	भवन की मरम्मत		20	
21	मशीनरी की मरम्मत		21	
22	कर्मचारियों को प्रतिकर			
	i	वेतन और मजदूरी	22i	
	ii	बोनस	22ii	
	iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii	
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv	
	v	छुट्टी यात्रा फायदे	22v	
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi	
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii	
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii	
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix	
	x	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	22x	
	xi	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)		22xi
	xii	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	xiiक	हां / नहीं
		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख	

लाभ हानि लेख में जमा

लाभ और हानि खाते में देय

23	बीमा			
	i	चिकित्सीय बीमा	23i	
	ii	जीवन बीमा	23ii	
	iii	की-मैन बीमा	23iii	
	iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं	23iv	
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v
24	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय			24
25	मनोरंजन			25
26	आतिथ्य			26
27	सम्मेलन			27
28	विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है			28
29	विज्ञापन			29
30	कमीशन			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i	
	ii	अन्य को	ii	
	iii	योग (i + ii)		30iii
31	स्वामिस्व			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i	
	ii	अन्य को	ii	
	iii	योग (i + ii)		31iii
32	तकनीकी सेवाओं के लिए व्यवसायिक/परामर्श फीस/फीस			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i	
	ii	अन्य को	ii	
	iii	योग (i + ii)		
33	होटल, बोर्डिंग, आवास			33
34	विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय			34
35	विदेशी यात्रा व्यय			35
36	प्रवहण व्यय			36
37	टेलीफोन व्यय			37
38	अतिथि गृह व्यय			38
39	क्लब व्यय			39
40	उत्सव समारोह व्यय			40
41	छात्रवृत्ति			41
42	उपहार			42
43	दान			43
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त किराया और कर या संदेय दर और कर (आय पर करों को छोड़कर)			
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i	
	ii	सेवा कर	44ii	
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii	
	iv	उपकर	44iv	
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v	
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi	
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii	



	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii									
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix									
	x	संदत या संदेय कुल दर और कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x							
45		संपरीक्षा फीस			45							
46		अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)										
	i			i								
	ii			ii								
	iii	योग (i + ii)			46iii							
47		डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)										
	(i1)				47i (1)							
	(i2)				47i (2)							
	(i3)				47i (3)							
		पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है कुल (47i(1)+47i(2)+47i(3))		47i								
	ii	जहां स्थायी लेखा संख्यांक/आधार उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें)		47ii								
	क्र.सं.	नाम	प्लेट/द्वार/ब्लाक सं०	परिसर/भवन/ग्राम का नाम	सड़क / मार्ग/ डाक घर	क्षेत्र/अवस्थान	करबा/शहर/जिला	राज्य	देश	पिन कोड	जि प को ड	रकम
	1											
		पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है										
	iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)										47iii
	iv	योग डूबन्त ऋण (47i + 47ii + 47iii)										47iv
48		डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध										48
49		अन्य उपबंध										49
50		ब्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 - (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]										50
51		ब्याज										
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत या भारत में सदत									i	
	ii	अन्य को									ii	
	iii	योग (i + ii)										
52		अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण										52
53		करों से पहले शुद्ध लाभ (50 - 51iii - 52)										53
54		वर्तमान कर के लिए उपबंध										54
55		आस्थगित कर के लिए उपबंध										55
56		कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)										56
57		पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष										57
58		विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)										58
59		विनियोग										
	i	आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण									59i	
	ii	प्रस्तावित लाभांश/अन्तरिम लाभांश									59ii	

iii	लाभांश पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभांश पर कर	59iii		
iv	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों की दशा में)	59iv		
v	कोई अन्य विनियोग	59v		
vi	योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)	59vi		
60	तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi)			60
61	धारा 44कड के अधीन माल वाहकों से प्रकल्पित आय की संगणना			
	क्र. सं.	कारोबार का नाम	कारोबार कोड	वर्णन

		माल गाड़ी का रजिस्ट्रीकरण सं.	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर ली गई थी	माल गाड़ी की टर्नभार क्षमता (एमटी में)	उन मासों की संख्या, जिनके लिए माल गाड़ी निर्धारित के स्वामित्वाधीन था/उसके द्वारा पट्टे पर/किराए पर ली गई थी था	माल गाड़ी के लिए धारा 44कड के अधीन प्रकल्पित आय (12 मेट्रिक टन से अधिक टन भार की दशा में प्रतिमास 1000 रुपए की दर से या अन्यथा 7500 रुपए प्रतिमास की दर से संगणित) या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, इनमें जो भी अधिक हो
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(क)					
	(ख)					
				कुल		
	यथा अपेक्षित पंक्तियों का विकल्प बढाएं (कृपया नोट करें: वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए)					
	(ii)	धारा 44कड के अधीन माल गाड़ी से कुल प्रकल्पित आय [सारणी 61(i) के स्तम्भ (5) का योग]				61(ii)
	टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड के अधीन विहित किए गए से कम है या वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर लिए गए माल गाड़ी का संख्या दस से अधिक है तो धारा 44कख के अधीन लेखाबहियां बनाए रखना या कर संपरीक्षा कराना अनिवार्य है					
लेखाबहियत मामला	62	ऐसी विदेशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय धारा 44ख, धारा 44खख, धारा 44खखक, धारा 44खखख या 44घ में निर्दिष्ट कारोबार से एक मात्र लाभों और अभिलाभों से मिलकर बनती है, वहां निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें				
	क	सकल प्राप्ति/आवर्त				62क
	ख	शुद्ध लाभ				62ख

**भाग क - विनिर्माण लेखा भारतीय - लेखा मानक**

**वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विनिर्माण लेखा** [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होंगी]

1	विनिर्माणकारी खाते को डेबिट				
	क	आरम्भिक तालिक			
		i	कच्ची सामग्री का आरम्भिक स्टॉक	i	
		ii	प्रगतिशील कार्य का आरम्भिक स्टॉक	ii	
		iii	योग (i + ii)		कiii
	ख	ऋय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)			ख
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी			ग
	घ	प्रत्यक्ष व्यय			घ
		i	आवक वहन व्यय	i	

	ii	विद्युत और ईंधन	ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii		
ड	कारखाना उपरिव्यय				
	I	अप्रत्यक्ष मजदूरी			
	ii	कारखाना किराया और दर			
	iii	कारखाना बीमा			
	iv	कारखाना ईंधन और विद्युत			
	v	कारखाना साधारण व्यय			
	vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण			
	vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)			डvii
च	विनिर्माण खाते में विकलनों का योग (कiii+ख +ग +घ +डvii)				1च
2	अन्त स्टॉक				
	i	कच्ची सामग्री	2i		
	ii	प्रगतिशील कार्य	2ii		
	योग (2i +2ii)				2
3	व्यापार लेखा में उत्पादित-अंतरित माल की लागत (1च - 2)				3

**भाग क - व्यापार लेखा  
भारतीय - लेखा मानक**

**वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए व्यापार लेखा** [ ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना ]

व्यापार लेखा में जमा

4	प्रचालनों से राजस्व				
क	विक्रय/कारबार की कुल प्राप्तियां (विवरणियों और प्रतिदायों तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)				
	i	माल का विक्रय	i		
	ii	सेवाओं का विक्रय	ii		
	iii	अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	क		iiiक		
	ख		iiiख		
	ग	योग (iiiक + iiiख)	iiiग		
	iv	योग (i + ii + iiiग)			कiv
ख	व्यवसाय से सकल प्राप्तियां				ख
ग	विक्रीत या प्रदाय की गई माल और सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर				
	i	संघ उत्पाद शुल्क	i		
	ii	सेवा कर	ii		
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	iii		
	iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv		
	v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v		
	vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi		
	vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii		
	viii	कोई अन्य शुल्क कर और उपकर	viii		
	ix	योग (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)			गix
घ	प्रचालनों से कुल राजस्व (कiv + ख+गix)				4घ
5	तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक				5

व्यापार लेख में देय	6	व्यापार लेखा में जमाओं का योग (4घ + 5iv )		6		
	7	तैयार माल का आरम्भिक स्टॉक		7		
	8	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)		8		
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)		9		
		i	आवक वहन व्यय	i		
		ii	विद्युत और ईंधन	ii		
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण : प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है	iii		
	10	क्रय किए गए मालों और सेवाओं के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर				
		i	सीमा शुल्क	10i		
		ii	प्रतिरोधी शुल्क	10ii		
		iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii		
		iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv		
		v	सेवा कर	10v		
		vi	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	10vi		
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii			
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii			
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix			
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x			
	xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi			
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii		
11	विनिर्माण खाते से उत्पादित-अंतरित माल की लागत			11		
12	लाभ और हानि लेखा में अंतरित-कारबार/व्यवसाय से सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)			12		
12क	दिन भर व्यापार से आवर्त			12क		
12ख	दिन भर व्यापार से आय - लाभ व हानि लेख में अंतरित			12ख		

**भाग क - लाभ और हानि  
भारतीय लेखा मानक**

**वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभ और हानि लेखा** [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]

लाभ हानि लेख में जमा	13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ (12 + 12ख)		13	
	14	अन्य आय			
		i	किराया	i	
		ii	कमीशन	ii	
		iii	लाभांश आय	iii	
		iv	ब्याज आय	iv	
		v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v	
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ	vi	
		vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ	vii	
		viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii	
		ix	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)	ix	
	x	कृषि आय	x		

	<b>xi</b>	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क		<b>xiंक</b>	
		ख		<b>xiंख</b>	
		ग	योग (xiंक + xiंख)	<b>xiंग</b>	
	<b>xii</b>	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiंग)			<b>14xii</b>
<b>15</b>	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii)				<b>15</b>
<b>16</b>	जावक भाड़ा				<b>16</b>
<b>17</b>	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग				<b>17</b>
<b>18</b>	विद्युत और ईंधन				<b>18</b>
<b>19</b>	किराया				<b>19</b>
<b>20</b>	भवन की मरम्मत				<b>20</b>
<b>21</b>	मशीनरी की मरम्मत				<b>21</b>
<b>22</b>	कर्मचारियों को प्रतिकर				
	<b>i</b>	वेतन और मजदूरी	<b>22i</b>		
	<b>ii</b>	बोनस	<b>22ii</b>		
	<b>iii</b>	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	<b>22iii</b>		
	<b>iv</b>	छुट्टी नकदीकरण	<b>22iv</b>		
	<b>v</b>	छुट्टी यात्रा फायदे	<b>22v</b>		
	<b>vi</b>	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	<b>22vi</b>		
	<b>vii</b>	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	<b>22vii</b>		
	<b>viii</b>	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	<b>22viii</b>		
	<b>ix</b>	कोई अन्य निधि में अभिदाय	<b>22ix</b>		
	<b>x</b>	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	<b>22x</b>		
	<b>xi</b>	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)			<b>22xi</b>
	<b>xii</b>	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	<b>xiiंक</b>	हां / नहीं	
		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	<b>xiiंख</b>		
<b>23</b>	बीमा				
	<b>i</b>	चिकित्सीय बीमा	<b>23i</b>		
	<b>ii</b>	जीवन बीमा	<b>23ii</b>		
	<b>iii</b>	की-मैन बीमा	<b>23iii</b>		
	<b>iv</b>	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं	<b>23iv</b>		
	<b>v</b>	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			<b>23v</b>
<b>24</b>	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय				<b>24</b>
<b>25</b>	मनोरंजन				<b>25</b>
<b>26</b>	आतिथ्य				<b>26</b>
<b>27</b>	सम्मेलन				<b>27</b>
<b>28</b>	विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है				<b>28</b>
<b>29</b>	विज्ञापन				<b>29</b>
<b>30</b>	कमीशन				
	<b>i</b>	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	<b>i</b>		

	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			30iii
31	स्वामिस्व				
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			31iii
32	तकनीकी सेवाओं के लिए व्यवसायिक/परामर्श फीस/फीस				
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			32iii
33	होटल, बोर्डिंग, आवास				33
34	विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय				34
35	विदेशी यात्रा व्यय				35
36	प्रवहण व्यय				36
37	टेलीफोन व्यय				37
38	अतिथि गृह व्यय				38
39	क्लब व्यय				39
40	उत्सव समारोह व्यय				40
41	छात्रवृत्ति				41
42	उपहार				42
43	दान				43
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दर और कर (आय पर कर को छोड़कर)				
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii		
	iv	उपकर	44iv		
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii		
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix		
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x
45	संपरीक्षा फीस				45
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	i		i		
	ii		ii		
	iii	योग (i + ii)			46iii
47	डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	(i1)				47i (1)



	v	सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक अन्य व्यापक आय के अंश, जिन्हें लाभ और हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाना है	v		61क
	vi	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	vi		
	vii	उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी	vii		
	viii	योग			
ख	वे मदें, जो लाभ और हानि के पुनःवर्गीकृत की जाएंगी				61ख
	i	विदेशी प्रचालन की वित्तीय विवरणियों को परिवर्तित करने में विनिमय अंतर	i		
	ii	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखतें	ii		
	iii	नकद प्रवाह नियंत्रण में नियंत्रणकारी लिखतों पर अभिलाओं और हानि का प्रभावी लाभ	iii		
	iv	सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक ओसीआई का अंश, जो लाभ और हानि में वर्गीकृत की जाए	iv		
	v	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	v		
	vi	उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत की जाएंगी	vi		
	vii	योग			
62	कुल व्यापक आय (56 + 61A + 61B)				62

**भाग क- अन्य जानकारी** अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन दायी हो, तो अनिवार्य, अन्य के लिए, यदि लागू हो, भरें)

1	पूर्व वर्ग में नियोजित लेखा पद्धति	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> वाणिज्य <input type="checkbox"/> नकद
2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क(iii)]	3क
3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11ख(iii)]	3ख
4	पूर्व वर्ग में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति (व्यवसायों के मामले में वैकल्पिक)	
क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
घ	धारा 145(2क) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ
ङ	धारा 145(2ख) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ
5	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो--	
क	धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क
ख	परफॉर्मा जमाओं, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर का प्रतिदाय या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां ऐसे प्रत्यय वापसी या प्रतिदाय सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा शोध के रूप में स्वीकार की जाए	5ख
ग	पूर्ववर्ग के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग
घ	आय की कोई अन्य मद	5घ
ङ	पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ
च	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें	



क	स्टाक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)( i)]	6क	
ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)( i ख)]	6ख	
ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)( ii)]	6ग	
घ	उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम [36(1)( iii)]	6घ	
ङ	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)( iii क)]	6ङ	
च	किसी मान्यताप्राप्त भवि-य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)( iv)]	6च	
छ	अनुमोदित अधिवर्गिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)( iv)]	6छ	
ज	धारा 80 ग ग घ में निर्दिष्ट एक पेंशन स्कीम के लिए अभिदाय रकम [36(1)( iv क)]	6ज	
झ	मान्यताप्राप्त भवि-य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)( v)]	6झ	
ञ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6ञ	
ट	नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भवि-य निधि या अधिवर्गिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि [36(1)( vi)]	6ट	
ठ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)( vii)]	6ठ	
ड	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)( vii क)]	6ड	
ढ	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम [36(1)( viii)]	6ढ	
ण	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)( ix)]	6ण	
त	प्रतिभूति के संव्यवहार के संबंध में सदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारवार आय में सम्मिलित न किया हो [36(1)( xv)]	6त	
थ	धारा 145(2) [36(1)(xviii)] अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि के लिए चिन्हित	6थ	
द	कोई अन्य अननुज्ञेय	6द	
ध	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ध)	6ध	
न	कंपनी द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (यदि कंपनी में मान्यताप्राप्त भवि-य निधि है तो आवश्यक)		
	i भारत में अभिनियोजित	i	
	ii भारत के बाहर अभिनियोजित	ii	
	iii कुल	iii	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें		
क	पूंजी स्वरूप का व्यय	7क	
ख	व्यक्तिगत स्वरूप का व्यय	7ख	
ग	कारवार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्ण या अन्न्य रूप से उपगत या किया गया व्यय न हो [37(1)]	7ग	
घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(1)]	7घ	
ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ	
च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिसांम है	7छ	
ज	कारपोरेट समाजिक दायित्व पर उपगत व्यय (सी.एस.आर.)	7ज	
झ	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7झ	
ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7ञ	
ट	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ञ का योग)	7	
8	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक	

	ख	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(i क) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अख	
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(iख) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अग	
	घ	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अघ	
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम 40 क(ii)	अङ	
	च	धनकर के रूप में संदत्त रकम 40 क(ii क)	अच	
	छ	धारा 40 क(ii ख) के अनुसार स्वामित्व अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के रूप में संदत्त रकम	अछ	
	ज	ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, अथवा धारा [40(ख)/ 40(खक)] के अंतर्गत स्वीकार्य किसी सहभागी अथवा सदस्य को भुगतान किए गए पारिश्रमिक की राशि	अज	
	झ	कोई अन्य अननुज्ञेय	अझ	
	ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग)		8अज
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम		8आ
9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें			
	क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क	
	ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत अस्वीकृति योग अकाउंट पेयी बैंक अथवा अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के जरिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का प्रयोग करके अथवा ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भिन्न अदा की गई राशि जिसे विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।	9ख	
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क(7)]	9ग	
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारित द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क(9)]	9घ	
	ङ	कोई अन्य अननुज्ञेय	9ङ	
	च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क से 9ङ का योग)		9च
10	किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ग में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ग के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क	
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भवि-य निधि या अधिवार्निकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख	
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग	
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ	
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऐसे ऋण या उधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	10घक	
	ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ	
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च	
	छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	10छ	
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग)		10ज
11	पूर्व वर्ग के लाभ-हानि लेखे में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क	
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भवि-य निधि या अधिवार्निकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख	
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग	

घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ	
घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऐसे ऋण या उधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	11घक	
ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ	
च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च	
छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	11छ	
ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)	11ज	
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम		
क	संघ उत्पाद शुल्क	12क	
ख	सेवा कर	12ख	
ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग	
घ	केन्द्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	12घ	
ङ	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	12ङ	
च	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	12च	
छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर (यूटीजीएसटी)	12छ	
ज	कोई अन्य कर	12ज	
झ	अधिशेन कुल रकम (12क से 12ज का योग)	12 झ	
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें	13	
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम	14	
15	लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम	15	
16	धारा 14 के अधीन अननुज्ञात व्यय की रकम	16	
17	क्या निर्धारिती धारा 92 गड. की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं [यदि हां, तो कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]	17	

## भाग क - मात्रात्मक ब्यौरे

मात्रात्मक ब्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हो, तो अनिवार्य)

मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	व्यवसायगत समुत्थान की दशा में	
	1	आरंभिक स्टाक	1
	2	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	2
	3	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	3
	4	अंतिम स्टाक	4
	5	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	5
	(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में	
	6	कच्चा माल	
	क	आरंभिक स्टाक	6 क
	ख	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	6 ख
	ग	पूर्व वर्ग के दौरान उपभोग	6 ग
	घ	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	6 घ
	ङ	अंतिम स्टाक	6 ङ
	च	प्राप्त तैयार किए गए उत्पाद	6 च
	छ	प्राप्त का प्रतिशत	6 छ
ज	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	6 ज	
7	तैयार उत्पाद/उपोत्पाद		
क	आरंभिक स्टाक	7 क	
ख	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	7 ख	
ग	पूर्व वर्ग के दौरान विनिर्मित मात्रा	7 ग	

घ	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	7 घ
ङ	अंतिम स्टाक	7 ङ
च	कमी/आधिक्य यदि कोई हो	7 च

## भाग क- ओ एल

समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता

समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता	1	आरम्भिक अतिशेष		
		i	हाथ नकदी	1i
		ii	बैंक	1ii
		iii	कुल आरम्भिक अतिशेष	1iii
	2	प्राप्तियां		
		i	ब्याज	2i
		ii	लाभांश	2ii
		iii	आस्तियों का विक्रय (कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)	
			क	2iii क
			ख	2iii ख
			ग	2iii ग
			घ	कुल (iii क + iii ख + iii ग)
		iv	देय/ऋणी का वसूल करना	2iv
		v	अन्य (कृपया बताएं क्या राजस्व/पूंजीगत/प्रकृति एवं राशि)	
			क	2v क
			ख	2v ख
			ग	कुल अन्य प्राप्तियां (v क + v ख)
		vi	कुल प्राप्तियां (2i + 2ii + 2iii घ + 2iv + 2v ग)	2vi
	3	कुल आरंभिक अतिशेष और प्राप्तियां		3
	4	संदाय		
	i	प्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4i	
	ii	अप्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4ii	
	iii	लेनदारों को प्रतिसंदाय	4iii	
	iv	कमीशन	4iv	
	v	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
		क	4v क	
		ख	4v ख	
		ग	अन्य संदायों का योग (4v क + 4v ख)	
	vi	कुल संदाय (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4v ग)	4vi	
5	अंत अतिशेष			
	i	हाथ नकदी	5i	
	ii	बैंक	5ii	
	iii	कुल अंत अतिशेष (5i + 5ii)	5iii	
6	कुल अंत अतिशेष और संदाय (4vi + 5iii)		6	

## विवरणी प्रारूप की अनुसूचियाँ यथा लागू करें

## अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्राप डाउन का उल्लेख करें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हाँ तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)					
		संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %				
		सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार सं.		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)	
		I				
		II				
		<input type="checkbox"/> लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input checked="" type="checkbox"/> (सही का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम यदि किराये पर हो	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)	
		I				
		II				
		क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य			1क
		ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख		
		ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग		
		घ	योग (1ख + 1ग)	1घ		
		ङ	वार्षिक मूल्य (1क - 1घ)	1ङ		
		च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत X 1ङ)	1च		
		छ	1च का 30%	1छ		
		ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1ज		
		झ	योग (1छ + 2ज)	1झ		
		ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30%	1ञ		
		ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)	1ट		
	2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हाँ तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)						
संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता % <input type="text"/>						
		सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार सं.		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)	
		I				
		II				
		<input type="checkbox"/> लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input checked="" type="checkbox"/> (सही का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम )यदि किराये पर हो	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)	
		I				
		II				
		क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)			2क
		ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख		
		ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग		
		घ	योग (2ख + 2ग)	2घ		
		ङ	वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)	2ङ		
		च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत X 2ङ)	2च		
		छ	1च का 30%	2छ		
		ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज		
		झ	योग (2छ + 2ज)	2झ		
		ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30%	2ञ		
		ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)	2ट		
	3	आय/क्षति के जरिए पास, यदि कोई हो*				3
	4	" गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2झ का अंक लें )				4
टिप्पण	यदि धारा 194झख के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार सं. प्रस्तुत करना आज्ञापक है । यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है ।					

## अनुसूची - कारबार या वृत्ति

## कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

अ सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति				
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क - पी और एल की मद 53, 61(iii) और 62(ख)/ भाग क-लाभ और हानि भारतीय लेखा मानकों के रूप में की मद 53) (यदि लागू हों)	1		
2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -- चिह्न प्रवि-ट करें)	2क		
2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -- चिह्न प्रवि-ट करें)	2ख		
3	लाभ और हानि लेखा में जमा आय या पावती को आय के अन्य शीर्ष के अधीन या धारा 115खखच के अधीन या धारा 115खखछ के अधीन या धारा 115खखज के अधीन समझा जाएगा	क	गृह संपत्ति	3क
		ख	पूँजी अभिलाभ	3ख
		ग	अन्य स्रोत	3ग
		गा	लाभांश आय	3गा
		गां	लाभांश आय के अलावा	3गां
		घ	115खखच के	3घ
		ङ	115खखछ के अधीन अधीन	3ङ
च	धारा 115खखज के तहत अधिग्रहण की शुद्ध लागत (यदि कोई हो)	3च		
4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44ख/ 44खख/ 44खखख/ 44खखख/ 44कड/ 44घ/ 44घक/44घख/ अध्याय 12छ/ पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है (115ख से भिन्न) (ड्रॉपडाउन का उल्लेख करें)	4क		
4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	4ख		
4ग	नियम 7, 7क, 7ख (1), 7ख (1क) और 8 के अन्तर्गत आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्रॉपडाउन का उल्लेख करें)	4ग		
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है			
		क	फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5क
		ख	एओपी/बीओए से आय के शेयर	5ख
		ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	
		i		गा
		ii		गां
		iii	कुल (गां + गां)	5गां
घ	कुल आय पर छूट (5क + 5ख + 5गां)	5घ		
6	बकाया (1- 2क - 2ख - 3 क - 3ख - 3ग - 3घ - 3ङ - 3च - 4- 5घ)	6		
7	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो धारा 115खखच के अधीन या धारा 115खखछ के अधीन या धारा 115खखज के अधीन आय से संबंधित है आय के अन्य शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा	क	स्वामित्व संपत्ति	7क
		ख	पूँजी अभिलाभ	7ख
		ग	अन्य स्रोत	7ग
		घ	115खखच के	7घ
		ङ	115खखछ के अधीन अधीन	7ङ
		च	धारा 115खखज के तहत अधिग्रहण की लागत के अलावा	7च
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो कर छूट से संबंधित है	8क		
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय, जो आय छूट से सम्बन्धित हैं, धारा 14क (भाग क-ण्ड का 16) के अधीन अननुज्ञात हैं	8ख		
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ङ + 7च + 8क + 8ख)	9		
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)	10		
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण	11		
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण			
	i	धारा 32(1)(ii) और धारा 32(1)(ii क) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)	12i	
	ii	धारा 32(1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आय कर नियम की परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करें)	12ii	

	iii	कुल (12i + 12ii)	12iii	
13		अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)	13	
14		धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम ( भाग अ आई का 6 द)	14	
15		धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 7 ट)	15	
16		धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम ( भाग अ आई का 8 कज)	16	
17		धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम ( भाग अ आई का 9 च)	17	
18		पूर्व वर्ग के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं ( भाग अ आई का 11 ज)	18	
19		सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज	19	
20		धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21		धारा 32कग / 33कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक / 35कखख/ 32कग/40क(3क) / 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी	21	
22		धारा 43गक के अधीन समझी गई आय	22	
23		धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	23	
24		लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अननुज्ञेय नहीं है (फर्मों से जिसमें कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन बोनस और ब्याज सहित)	24	
25		आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में बढ़त या हानि में कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची औ.आइ	25	
26		कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)	26	
27		धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27	
28		धारा 32कग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	28	
29		लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35	29	
30		किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग अ.ण.झ का 8ख)	30	
31		किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ग के दौरान अननुज्ञेय कोई रकम (भाग अणझ का 10ज)	31	
32		कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम	32	
33		आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी या हानि में बढ़त कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची ओका 4इ)	33	
34		कुल (27+28+29+30+31+32+33)	34	
35		आय (13+26-34)	35	
36		निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -		
	i	धारा 44कड अनुसूची लाभ और हानि की 61(ii)]	36i	
	ii	धारा 44ख	36ii	
	iii	धारा 44खख	36iii	
	iv	धारा 44खखक	36iv	
	v	धारा 44खखख	36v	
	vi	धारा 44घ	36vi	
	vii	धारा 44घक	36vii	(प्रारूप 3 ग.इ की मद 4)
	viii	अध्याय-XII-छ (टनेज)	36viii	(प्रारूप 6 के मद 10 के स्तंभ 7 का कुल योग)
	ix	आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची (115ख से भिन्न)	36ix	
	x	कुल (36i से 36ix)	36x	
37		सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 36x)	37	
38		नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू हों लागू करने के पश्चात् सट्टे के बाजार या विनिर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू नहीं हैं तो 35 की वही रकम यथाप्रतिष्ठ करे जो 35 में है करने के पश्चात् विशेष कारबार की दशा के सिवाय जो उपरोक्त 37 में है/ यदि हानि है तो मद च का 2झ लें) (38क + 38ख + 38ग + 38घ + 38ङ + 38च)	अ38	
	क	नियम 7 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38क	
	ख	नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ख	

	ग	नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ग		
	घ	नियम 7ख(1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38घ		
	ङ	नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ङ		
	च	नियम 7क, नियम 7ख और नियम 8 के अधीन (मद सं. 37) से भिन्न आय	39च		
39		वित्त अधिनियम [ 4ग -(38क+38ख+38ग+38घ+38ङ)] के अनुसार आय के संकलन के प्रयोजन के लिए नियम 7, नियम 7क, नियम 7ख(1), नियम 7ख(1क) और नियम 8 लागू करने के पश्चात् कृषि से प्राप्त हुई समझी गई आय का अतिशेष		39	
आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना				
40		लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि		40	
41		धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन		41	
42		धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियां		42	
43		सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (40+ 41 - 42) (यदि हानि है तो मद गचठ का अंक 6 Xi लें)		आ 43	
इ	विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना				
44		लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से कुल लाभ या हानि		44	
45		धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार जोड़			
46		धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार कटौतियां (धारा 35कघ ii 32 या 35 जिसमें धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न)		46	
47		विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (44 + 45 - 46)		47	
48		धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतियां		48	
49		विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (47 - 48) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविट करें)		इ49	
50		धारा 35कघ की उपधारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित करते हैं (ड्रॉप डाउन मेन्सू से चयन करने के लिए)		इ50	
ई		लाभ और हानि शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ38+आ43+ इ49)		ई	
उ	चालू वर्ग में कारबार हानि का अन्तःशीर्ष मुजरा				
	क्र. सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ग की आय (इस खाने को उसी दशा में भरें यदि अंक शून्य या सकारात्मक है)	कारबार हानि मुजरा	मुजरा पश्चात् बची हुई कारबार आय
			(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	i	हानि का मुजरा (इस पंक्ति को तभी भरें यदि अंक नकारात्मक है)		(क38)	
	ii	सट्टे के कारबार से आय	(ख43)		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग49)		
	iv	धारा 115 ख के तहत जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(4ख)		
	v	कुल हानि मुजरा (ii + iii)			
	vi	मुजरा पश्चात् हानि (i - v)			

## अनुसूची - डीपीएम

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण ( उन नासतियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं )

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

क्र. सं.	विवरण	संयंत्र और मशीनरी			
		15	30	40	45
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	आस्तियों का ब्लाक				
2	दर (%)				
3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माचन				
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माचन				



9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आसूति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण ( स्तंभ 15 के बाहर)				
17	शुद्ध सकल अवक्षयण (15-16)				
18	अन्तरवर्तन,समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षरण ( स्तंभ 17 के बाहर)				
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5+8-3-4-7-19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+9-15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

## अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण ( उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है )

1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन ( जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है )				फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
			5	10	40				
2	दर (%)	Nil	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य								
4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन								
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन								
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा( 3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)								
7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन								
8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन								
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)								
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण								
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण								
12	कुल अवक्षयण। (10+11)								
13	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण ( स्तंभ 12 के बाहर)								
14	शुद्ध सकल अवक्षयण (12-13)								
15	अन्तरवर्तन,समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षरण ( स्तंभ 14 के बाहर)								
16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय								
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं है)								
18	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)								

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

## अनुसूची - डीईबी

आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है )

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी			
		क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i जैसा लागू है )	1क	
		ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii जैसा लागू है )	1ख	
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii जैसा लागू है )	1ग	
		घ	45 प्रतिशत की दर से मूल्य ह्रास हेतु पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-17iv अथवा 18iv जैसा भी लागू हो)	1घ	
		ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)		1ङ
	2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)			
		क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii जैसा लागू है )	2क	
		ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii जैसा लागू है )	2ख	
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv जैसा लागू है )	2ग	
	घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग)		2घ	
	3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v जैसा लागू हो)		3	
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi जैसा लागू हो)		4	
	5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii जैसा लागू हो)		5	
	6	कुल अवक्षयण (1ङ + 2घ + 3 + 4 + 5)		6	

## अनुसूची - डीसीजी

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

	1	संयंत्र और मशीनरी			
		क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क	
		ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख	
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग	
		घ	45 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास हेतु पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-20iii)	1घ	
		ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)		1ङ
	2	भवन ( जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)			
		क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क	
		ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख	
		ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग	
	घ	योग (2क + 2ख + 2ग)		2घ	
	3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड क 17v)		3	
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)		4	
	5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)		5	
	6	कुल अवक्षयण (1ङ + 2घ + 3 + 4 + 5)		6	

## अनुसूची - इएसआर

वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या गगन या गगन के अधीन कटौती )

क्र.सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			

ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2अअ)			
vii	35(2अआ)			
viii	35गगग			
ix	35गगघ			
x	योग			
टिप्पण ▶	यदि धारा 35(1)(ii) या 35(1)(iiक) या 35(1)(iii) या 35(2कक) के अधीन किसी कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची दक के अनुसार ब्यौरे दें			

## अनुसूची-पूँजी अभिलाम

## पूँजी अभिलाम

लघु अवधि पूँजी अभिलाम	क	लघु अवधि पूँजी अभिलाम ( एसटीसीजी ) (उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)							
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक रूप से ब्यौरे भरे)							
	क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य				का		
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य				काii		
		iii	पूँजी अभिलाम के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [यदि (काii) 1.10 गुणा (का), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़े को (का) के रूप में लें या अन्यथा (काii) के रूप में लें]				काiii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ							
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii		
		iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय				ख iii		
		iv	योग ( ख i + ख ii + ख iii )				ख iv		
	ग	तुलन काiii - ख iv				1 ग			
	घ	धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती ( नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें )				1 घ			
	ङ	स्थावर संपत्ति पर लघु अवधि पूँजी अभिलाम ( 1 ग - 1 घ )				क 1 ङ			
	च	अचल संपत्ति के अंतरण के मामले में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (टिप्पण देखें)							
		क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैन/ आधार सं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता, देश कोड , ज़िप कोड	पिन कोड	राज्य
टिप्पण ▶	यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैन/ देना अनिवार्य है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें								
2	स्लमप विक्री से								
क	i	नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य				2का			
	ii	नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य				2काii			
	iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम )				2काiii			
ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य				2 ख				
ग	स्लमप की विक्री से लघु अवधि पूँजी अभिलाम (2काiii - 2 खे)				क 2 ग				
3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारवार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (विदेशों के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है								
क	प्रतिफल का पूरा मूल्य				3 क				
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ								
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i			
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii			
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय				ग iii			
	iv	योग(i + ii + iii)				ख iv			

	ग	शेन (3 क - ख iv)	3 ग	
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें )	3 घ	
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ ( एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)		क 3 ङ
4		अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)		
	क	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर ( एसटीटी) संदत्त किया गया है		क 4 क
	ख	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर ( एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है		क 4 ख
5		अनिवासियों की दशा में-धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)		
	क	i	प्रतिभूतियों जिनमे कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-	
		क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य ।	i क
		ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख
		ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii
		iii	कुल (i ग + ii)	क iii
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii
		iv	योग (i + ii + iii)	ख iv
	ग	शेन (5 क iii- ख iv)	5 ग	
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें )	5 घ	
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ ( एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)		क 5 ङ
6		पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से		
	क	i	आस्तियों जिनमे कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-	
		क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य ।	i क
		ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख

			ग	पूँजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	ग	
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य		कii	
		iii	कुल (ग + ii)		क iii	
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		ख i	
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत		ख ii	
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय		ख iii	
		iv	योग (i + ii + iii)		ख iv	
ग	शे-1 (6 क iii - ख iv)					
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)					
ङ	अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूँजी अभिलाभ ( अनुसूची डीसीजीका 6)					
च	धारा 54 घ/54 छ/54 छक के अधीन कटौती					
छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसी जी (6 ग+ 6 घ + 6 ङ + 6 च)					
						क 6 छ

## 7 अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि

	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूँजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लयी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूँजी अभिलाभ खाता स्क्रीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्योरा उपलब्ध कराएं									
		क्रम सं.	पूर्व वर्ग में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	वर्ग जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	पूँजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (X) में उपयोग में नहीं लई गई बची हुई राशि			
		i	2019-20	54घ/54छ/54छक							
ख	धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54 छ क से भिन्न लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि										
	धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54 छ लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi+ ख)										
								क7			
8	अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए प्राप्त (अनुसूची पीटीआई भरे) (क8क+ क8ख+क8ग)										
	क	15% की दर से प्रभाय अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास						क8क			
	ख	30% की दर से प्रभाय अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास						क8ख			
	ग	लागू दरों पर प्रभाय अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास						क8ग			
9	एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार भारत में कर प्रभाय नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभाय है:										
		क्रमा सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. का से क8 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर ( यदि प्रभाय नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या टीआरसी प्राप्त है ( हाँ/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6) या(9)

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		I										
		II										
		क	डीटीए के अधीन भारत एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि								क9क	
		ख	डीटीए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम								क9ख	
10		कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाम ( क1 ड+ क2 ग+ क3 ड+ क4 क+ क4 ख+ क5 ड+ क6 छ+ क7 + क8 - क9क)									क10	
ख		दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाम (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू नहीं हैं )										
दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाम		1		भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथक रूप से भरें)								
		क	i	प्राप्त/प्रायः प्रतिफल का पूरा मूल्य				का				
			ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य				काii				
			iii	पूंजी अभिलाम के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [यदि (काi) 1.10 गुणा (का), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ को (का) के रूप में लें या अन्यथा (काii) लें]				काiii				
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां									
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i				
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii				
			iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय				ख iii				
			iv	योग ( ख i + ख ii + ख iii)				ख iv				
			ग	शे-1 ( क iii - ख iv)				1 ग				
	घ	धारा 54 घ / 54 डग/54 छ /54 छक के अधीन कटौती ( नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें )				1 घ						
	ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाम (1 ग - 1 घ)									ख 1 ड	
	च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (कृपया टिप्पण दें)										
		क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैना / आधार नं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता, देश कोड, जिला कोड	पिन कोड	राज्य			
		टिप्पण ▶	यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैना/ आधार नं. देना अनिवार्य है । एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें ।									

2	स्लम्य विक्री से										
	क	i	नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2का							
		ii	नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2काii							
		iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम )	2काiii							
	ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य		2 ख							
	ग	शे-1 (2काiii - 2 ख)		2 ग							
	घ	धारा 54ड.ग के अंतर्गत कटौती		2 घ							
	ड	स्लम्य के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाम (2 ग-2 घ)								ख 2 ड	
3	बंध पत्रों या डिबेंचरों विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न )										
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य			3क						
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां									
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i				
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii				
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय				ख iii				
		iv	योग ( ख i + ख ii + ख iii)				ख iv				
	ग	एलटीसीजी बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाम (3क - 3 ख iv)									ख 3 ग

4	सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्रों के विक्रय से जहां धारा 112(1)के अधीन परंतुक लागू होता है।				
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	4क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
	iv	योग ( ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (4क - 4 ख iv)		ख 4 ग	
5	किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की इकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है				
	उपरोक्त ख5 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची 112क का कॉलम 14)			ख5	
6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)				
	सूचकांक (इंडेक्सेशन) लाभ के बिना संगणित शेयर अथवा डिबेंचर पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ			ख 6	
7	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)( ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से (धारा 112 क में विदिष्ट प्रतिभूतियों के सिवाय जिसके लिए स्तम्भ ख8 भरा जाएगा )				
	क	i प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			
		क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य।	i क		
		ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख		
		ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग		
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii		
		iii कुल (i ग + ii)	क iii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
		iv योग ( ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (क iii - ख iv)		ख7ग	
8	अनिवासियों के लिए किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की इकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है				
	उपरोक्त ख8 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ ( अधिसूचना 115कघ(1)(ख)(iii) का कॉलम			ख8	
9	आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं				
	क	i आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			
		क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य			
		ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य			
		ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग		
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य			
		iii कुल (i ग + ii)	क iii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
		iv योग ( ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	शेन (9 क iii - खiv)		7 ग	
	घ	धारा 54घ/धारा 54छ/धारा 54क के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यारे विनिर्दिष्ट करें)		7 घ	
	ङ	ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)		ख 9 ङ	
10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?				
	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं				
	क्रम सं.	पूर्व वर्गों में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			वर्ग जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि	

i	2019-20	54घ/54छ/54छक								
ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (क xi+ख)									ख10
11	दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे)(ख12क1+ख12क2 + ख12ख)									ख11
	क1	धारा 112क के अंतर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास							ख11क1	
	क2	धारा 112क को छोड़कर 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास							ख11क2	
	ख	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ के रूप में पास थूँ आय 20 प्रतिशत की दर से प्रभाय							ख 11ख	
12	एलटीसीजी की रकम जो ख1- ख11 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार भारत में कर प्रभाय नहीं है या विशेष-1 दर पर कर प्रभाय है: (अनुसूची एसआई को लिया जाना है)									
क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. ख 1 से ख 11 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संघि के अनुसार दर ( यदि प्रभाय नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या टीआरसी प्राप्त है ( हॉ/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या(9))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I										
II										
क	डीटीए के अधीन एलटीसीजी प्रभाय कर की कुल राशि									ख12क
ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभाय एलटीसीजी की कुल राशि									ख12ख
13	कुल दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (ख 1ड + ख 2ड + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8घ - ख9ड + ख 10 + ख 11 - ख12क) (यदि क्षति हो तो ख13 को शून्य के रूप में लें)									ख 13
ग1	पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत प्रभाय आय की पूंजीगत लाभ राशि (क10+ ख13) (यदि हानि तो ख13 को शून्य लिखें)									ग1
ग2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (अनुसूची वी.डी.ए के स्तंभ 7 में समस्त सकारात्मक आय की राशि)									ग2
ग3	“पूंजीगत लाभ” शीर्ष के तहत प्रभाय आय (ग1+ग2)									ग3
घ	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती की जानकारी									
1	धारा 54घ / धारा 54छ/ धारा 54छ / धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित व्योरे दें।									
क	धारा 54 घ के अधीन दावाकृत कटौती									
i	मूल अस्ति के अर्जन की तारीख					क i	दिन/मास/वर्ष			
ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि/भवन के क्रय/निर्माण की लागत					क ii				
iii	नए भूमि या भवन के क्रय की तारीख					क iii	दिन/मास/वर्ष			
iv	नियत तारीख से पहले पूंजी अभिलाभ योजना में जमा राशि					क iv				
v	दावाकृत कटौती की राशि					क v				
ख	धारा 54 ड ग के अधीन दावाकृत कटौती									
i	मूल अस्ति के स्थानांतरण की तारीख					ख i	दिन/मास/वर्ष			
ii	विनिर्दिष्ट/अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम ( पचास लाख से ज्यादा					ख ii				
iii	निवेश की तारीख					ख iii	दिन/मास/वर्ष			
iv	दावाकृत कटौती की राशि					ख iv				
ग	धारा 54 छ के अधीन दावाकृत कटौती									
i	शहरी क्षेत्रसे मूल अस्ति के स्थानांतरण की तारीख					ग i	दिन/मास/वर्ष			
ii	नई अस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत					ग ii				
iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में खरीदी/बनाई गई अस्ति की तारीख					ग iii	दिन/मास/वर्ष			
iv	नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि					ग iv				
v	दावाकृत कटौती की राशि					ग v				
घ	धारा 54 छक के अधीन दावाकृत कटौती									
i	शहरी क्षेत्रसे मूल अस्ति के स्थानांतरण की तारीख					घ i	दिन/मास/वर्ष			
ii	नई अस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत					घ ii				
iii	एसईजेड में नई अस्ति के क्रय निर्माण की तारीख					घ iii	दिन/मास/वर्ष			
iv	नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि					घ iv				
v	दावाकृत कटौती की राशि					घ v				
ड	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख +1ग +1घ)					1 ड				





अनुसूची 112ए		कंपनी अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा विजनेस ट्रस्ट की यूनिट में इक्विटी शेयर की बिक्री से जिन पर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी अदा किया गया है												
क्रम सं.	अर्जित शेयर/यूनिट	आईएसआईएन कोड	शेयर/यूनिट का नाम	शेयर/यूनिट की संख्या	बिक्री मूल्य प्रति शेयर/यूनिट	प्रतिफल का पूरा मूल्य - यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्सेशन बिना अधिग्रहण की लागत (8 अथवा 9 का उच्चतर)	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि मूजिंगत परिसम्पत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्व अधिग्रहित की गई थी - निम्न	31 जनवरी, 2019 की स्थिति के अनुसार उचित बाजार मूल्य प्रति शेयर/यूनिट	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूजिंगत परिसम्पत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य	अंतरण के संबंध में पूर्णतया अथवा विशेष रूप से व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13)-आईटीआर 6 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 5
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
पंक्तियाँ जोड़े														
योग														

अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii)		एक कंपनी में इक्विटी शेयर अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा विजनेस ट्रस्ट की यूनिट की बिक्री से जिनपर धारा 112क के अन्तर्गत एसटीटी अदा किया गया है।												
क्र स	अर्जित शेयर/यूनिट	आईएसआईएन कोड	शेयर/यूनिट का नाम	शेयर/यूनिटों की संख्या	बिक्री मूल्य प्रति शेयर/यूनिट	प्रतिफल का पूरा मूल्य - यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत 8 अथवा 9 का उच्चतर	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि परिसंपत्ति 01-2-2018 से पूर्व अधिग्रहित की गई थी	31 जनवरी 2018 को उचित बाजार मूल्य प्रति शेयर यूनिट	धारा 56 2 कग के अनुसार पूजिंगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य 4 से 10	अनुसरण के संबंध में पूर्णतया तथा विशेषकर व्यय	कुल कटौतियां 3	शेष(6-13) - आईटीएम-8 का एलटीसीजी शेडयूल का आईटीआर 6
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
पंक्तियाँ जोड़े														
योग														

अनुसूची वी.डी.ए		आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय				
क्रम सं.	अधिग्रहण की तिथि	अंतरण की तिथि	पूंजी अभिलाभ का प्रकार /अल्पकालिक (दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा )(2)56x के तहत राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आमहानि के मामले ) (में शून्य दर्ज करें 6 स्तंभ)- स्तंभ (5
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)

सम्मिलित पंक्तियां						
कुल (स्तंभ ( की समस्त सकारात्मक आय की राशि 7						(अनुसूची सी जी का मद सं2 सी.)

## अनुसूची-अन्य स्रोत

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभाय सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
	क लाभान्श, सकल	1क	
	i धारा 2(22)(ड) के तहत लाभान्श आय	का	
	ii (i) के अलावा लाभान्श आय	काii	
	ख ब्याज, सकल (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv)	1ख	
	i बचत बैंक खाता	खा	
	ii जमा राशि (बैंक/ डाकखाना/ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी)	खाii	
	iii आय कर प्रतिदाय से	खाiii	
	iv आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खाiv	
	v अन्य	खv	
	ग मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
	घ धारा 56 (2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभाय है (घा + घाii + घाiii + घाiv + घाv)	1घ	
	i प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घा	
	ii यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घाii	
	iii यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क	घाiii	
	iv प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घाiv	
	v यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घाv	
	ङ कोई अन्य आय कपया प्रकृति का उल्लेख करें		
	क्रम सं	प्रकृति	राशि
	1		
	लाइन जोड़े		
2	विशेष दरों पर प्रभाय आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं से 1 )	2	
	क लाटरी वर्ग पहली इत्यादि की जीत के रूप में आय	2क	
	ख धारा 115खखघ के अधीन प्रभाय आय (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv + खvi)	2ख	
	i धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खा	
	ii धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खाii	
	iii धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खाiii	
	iv धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खाiv	
	v धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv	
	vi धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय	खvi	
	ग विशेष दर पर प्रभाय कोई आय ( ग i से गxiii का कुल योग )	2ग	
	i धारा 115 क(1)(क)(i) के अधीन विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभान्श	ग i	
	ii धारा 115 क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभाय सरकार या विदेशी करेन्सी श्रृण पर भारतीय समन्वयन से प्राप्त ब्याज	ग ii	
	iii धारा 115 क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभाय अवसंरचना श्रृण निधि से प्राप्त ब्याज	ग iii	
	iv धारा 115 क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभाय धारा 194ठग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	ग iv	
	v धारा 115 क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभाय धारा 194ठग(1) के परंतुक @4% में निर्दिष्ट ब्याज	ग v	
	vi धारा 115 क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभाय धारा 194 टघ में निर्दिष्ट ब्याज	ग vi	
	vii धारा 115 क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभाय धारा 194 औआअ में निर्दिष्ट वितरित आय जो ब्याज है	ग vii	
	viii धारा 115 क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभाय यूटीआई की इकाई या धारा 10 (23घ) में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधि से आय	ग viii	

ix	धारा 115(1)(ख)(क) तथा 115(1)(ख)(ख) सरकार या भारतीय समुन्धान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस से आय	ग ix	
x	धारा 115 कग के अधीन प्रभार्य अनिवासियों द्वारा ब्याज के रूप में या बॉण्डस या विदेशी करेंसी में क्रय किया गये लाभांश से आय	ग x	
xi	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	ग xi	
xii	पारिस्परिक निधि-115कख(1) के द्वारा विदेशी मुद्रा की इकाईयों की खरीद के संबंध में प्राप्त आय	ग xii	
xiii	धारा 115 कघ (1)(i) के अधीन प्रभार्य प्रतिभूतियों (धारा 115 कख में निर्दिष्ट इकाईयों के सिवाय) के संबंध में एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय	ग xiii	
xiv	धारा 115 कघ (1)(i) के परन्तुक के अनुसार प्रभार्य किसी एफ.आई.आई द्वारा बाण्ड पर या धारा 194 टघ में निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज के रूप में आय	ग xiv	
xv	धारा 115 खखक के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ी या खेल संगठनों पर कर	ग xv	
xvi	धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य कतिपय मामलों में गुप्त दान	ग xvi	
xvii	भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से रायल्टी के रूप में आय - धारा 115खखघ के अधीन प्रभार्य	ग xvii	
xviii	धारा 115 खखछ के अधीन प्रभार्य कार्बन क्रेडिट के अंतरण के द्वारा आय	ग xviii	
Xix	रायल्टी से आय जहां करार 31.3.1961 से 31.3.1976 के मध्य और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क से आय जहां करार 29.2.1964 से 31.3.1976, के मध्य केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है .	ग xix	
xx	धारा 115कघ(1)(i)के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा एफ आई आई द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xx	
xxi	धारा 115कघ(1)(i) के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त लाभांश आय	ग xxi	
xxii	धारा 115कघ(1)(i)के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा विनिर्दिष्ट द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xxii	

घ विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से आय की प्रकृति में पास थू आय (डॉप डाउन दिया जाए)

2घ

ङ डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य है उपरोक्त 1 और 2 में सम्मिलित राशि (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 का कुल योग)

2ङ

क्रम सं.	आय की रकम	मद सं. 1क से 1घ, 2ग & 2घ में जो सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									

3 धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख, 2ग और 2घ के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित कटौतियों के सिवाय अन्य कटौतियां)

क	व्यय/ कटौतियां "ग" में इंदराज के अलावा	3क
ख	अवक्षयण (तभी उपलब्ध यदि आय 1 ग में प्रस्तुत की गई)	3ख
ग	धारा 57(1) के तहत लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज	3ग
गां	धारा 57(ii) के तहत योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि	3गां
घ	योग	3घ

4 धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम

4

5 धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ

5

6 सामान्य लागू दर (1 (डीटीए हिस्से से संबंधित आय कम करने के बाद - 3 + 4 + 5) पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय (यदि नकारात्मक है तो सीवाईएलए अनुसूची के 3 x में अंकों को रखें)

6

7 अन्य स्रोतों से आय (बोड के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)

7

<b>8</b> धुड़ दौड़ के स्वभियों के क्रियाकलापों से आय।							
क	प्राप्तियां	8क					
ख	केवल 8क की प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख					
ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग					
घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ					
ङ	अतिशो (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 11XV के अंक प्रविष्टि करे)	8ङ					
<b>9</b> "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)							
<b>10</b> अन्य स्रोतों से आय की प्रोद्द्वन/प्राप्ति के बारे में जानकारी							
क्र.सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक	
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, वर्ग पहलियों दौड़, खेलों, घुत,शर्तो इत्यादि से जीती हुई राशि के रूप में आय						
2	क्रम सं. 1क(i) में संदर्भित लाभांश पर आय						
3	धारा 115क(1)(क)(i) के तहत 20% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)						
4	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभांश आय						
5	धारा 115कघ (1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई						
6	धारा 115कघ (1)(i) के तहत 10% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
7	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय						

## अनुसूची सीवाईएलए

चालू वॉ की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्योरे

क्र.सं.	आय का शी/स्रोत	चालू वॉ की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वॉ की गृह संपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वॉ की कारवार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारवार की हानि से भिन्न)	अन्य स्रोतों से चालू वॉ के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेषा दर पर कर से प्रभार्य रकम से भिन्न)	मुजरे के पश्चात् शो बची चालू वॉ की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि आकडे नकारात्मक हो तभी इस पंक्ति को भरें)		(अनुसूची एच.पी का 4)	(अनुसूची बी.पी की मद च का 2)	(अनुसूची ओ.एस का 6)	
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एच.पी का 4)				
iii	बिजनेस धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय तथा सट्टा बिजनेस से आय तथा आय	(अनुसूची बी.पी का क 38)				
iv	धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय	(बी.पी अनुसूची की मद ड का 3)				
v	सट्टे से आय	(बी.पी अनुसूची की मद ड का 3ii)				

vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(बी.पी अनुसूची की मद ड का 3iii)			
vii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी की मद ड का 9ii)			
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी की मद ड का 9 iii)			
ix	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी की मद ड का 9iv)			
x	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी की मद ड का 9v)			
xi	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी की मद ड का 9vi)			
xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी की मद ड का 9 vii)			
Xiii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सी.जी की मद ड का 9 viii)			
xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोंतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ओ.एस की मद 6)			
Xv	दौड़ के धोड़ो का सौमिक्त्व रखने और उनके पोषण करने से लाभ	(अनुसूची ओ.एस की मद 8इ)			
xvi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्त्रोंतों से आय	(अनुसूची ओ.एस की मद 2 च)			
xvii	मुजरा की गई कुल हानि				
xviii	मुजरे के पश्चात् शो हानि (i - xvii)				

## अनुसूची-बीएफएलए

पूर्व वॉ की अग्रनीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के व्योरे

क्र.सं.	आय का शो/खोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वॉ की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय	मुजरा की गई अग्रनीत हानि	मुजरा किया गया अग्रनीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रनीत मोक (रिबेट)	मुजरे के पश्चात् शो वची चालू वॉ की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	( ख यदि गृह संपत्ति से हानि है )			
ii	बिजनेस (बीमा बिजनेस सट्टा बिजनेस से आय तथा विनिर्दिष्ट बिजनेस से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है )			
iii	धारा 115 ख के अधीन जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है )			
iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(ख यदि सट्टेबाजी से हानि है )			
v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है )			
vi	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है )			
vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है )			
viii	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है )			
ix	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है )			
x	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xi)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है )			
xi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है )			
xii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिक अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है )			
Xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोंतों से शुद्ध आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)				
Xiv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है )			
xv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्त्रोंतों से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xvi)				
Xvi	मुजरा की गई अग्रनीत कुल हानि					
xvii	चालू वॉ की मुजरे के पश्चात् शो वची हानि योग	(5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi +5xii +5xiii+ 5xiv + 5xv)				

अनुसूची-सीएफएल		भावी के वर्गों के लिए अग्रणीत हानियों का विवरण											
क्र.सं.	निर्धारण वर्ग	फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ग)	गृह संपत्ति हानि	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से हानि			सट्टे के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	धारा 115ख के अन्तर्गत बीमा बिजनेस से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	रेस	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
				कारोबार हानि अग्रणीत	धारा 115 खकग के तहत कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	वर्ष के दौरान उपलब्ध कारोबार हानि के लिए मुजरा अग्रणीत							
1	2	3	4	5क	5ख	5ग =5क-5ख	6	7	8	9	10	11	11
I	2010-11												
ii	2011-12												
iii	2012-13												
iv	2013-14												
v	2014-15												
vi	2015-16												
vii	2016-17												
viii	2017-18												
ix	2018-19												
x	2019-20												
xi	2020-21												
xii	2021-22												
xiii	2022-23												
xiv	पूर्ववर्गों की हानियों का योग ख/च												
xv	अनुसूची बीएफएल में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएल का 2i)	(अनुसूची बीएफएल का 2ii)			(अनुसूची बीएफएल का 2iv)	(अनुसूची बीएफएल का 2v)	(अनुसूची बीएफएल का 2iii)			(अनुसूची बीएफएल का 2xii)	
Xvi	2023-24 चालू वर्ष की हानियाँ		(अनुसूची सीवाईएल का 2xiv)	(अनुसूची सीवाईएल का 3xviii)			(अनुसूची बीएफ का ख43, यदि - vड)	(अनुसूची बीएफ का ग49, यदि - vड)	अनुसूची बीपी का 4ख (यदि - vड)	(अनुसूची सीजी की मद ड का 2भ+3भ+4भ)	अनुसूची सीजी की मद ड का (6भ+7भ)	(अनुसूची ओएस का 8इ यदि -vड)	
xvii	यूनिट धाराकों के मध्य चालू वर्ष हानि वितरित(निवेश निधि के लिए लागू)												
	चालू वर्ष की हानियाँ अग्रणीत (xvi-xvii)												
	भावी वर्गों को अग्रनयन की गई कुल हानि (xiv - xv + xviii)												

## अनुसूची -अनामेलित अवक्षयण धारा 35(4) के अधीन अनामेलित अवक्षयण और भत्ते

क्र.सं.	निर्धारण वर्ग	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अग्रणीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	चालू वर्ग की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ग के लिए अग्रणीत शे-1 रकम	अग्रणीत अनामेलित भत्ते की रकम	चालू वर्ग की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए भत्ते की रकम	अगले वर्ग के लिए अग्रणीत शे-1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ग						
ii							
iii	योग		(बीएफएल का 3xvi)			(बीएफएल का 4xvi)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा.		लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव
क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145 क के अधीन मूल्यांकर की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (145 क के अधीन मूल्यांकर की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	

अनुसूची-10कक		धारा 10कक के अधीन कटौती			
धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष-1 आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती				
	क्र० सं०	उपक्रम	निर्धारण वर्ग जिसमें इकाई निर्माण/उत्पादन शुरू करती है	क्र० सं०	रकम
	क	उपक्रम सं० 1		क	(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17)
	ख	उपक्रम सं० 2		ख	(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17)
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क + ख)			

### अनुसूची 80छ धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान				
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	संदान की रकम		संदान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i					
	ii					
iii कुल						
ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान					
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	संदान की रकम		संदान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i					
	ii					
iii कुल						
ग	अर्हता सीमा के अधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान					
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	संदान की रकम		संदान के लिए उपयुक्त रकम



		नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
i					
ii					
iii	कुल				
घ	अर्हता सीमा के अधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान				
आदाता का नाम और पता		आदाता का पैन	ए.आर.एन (संदान संदर्भ संख्या)	संदान की रकम	
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान
i					
ii					
iii	कुल				
ड	कुल दान (कांiii + खांiii + गांiii + घंiii)				

**अनुसूची 80 छछक वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान का ब्यौरा**

क.सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन अनुदान का दावा किया गया है (ड्राप डाउन दिया जाए)	संदान आदाता का नाम और पता	संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	अनुदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

**अनुसूची आरए अनुसंधान संगम इत्यादि को संदान के ब्यौरा [धारा 35(1)(ii) या 35(1)(ii) या 35(1)(iii) या 35(2कख) के अधीन कटौतियां]**

संदान आदाता का नाम और पता		संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	संदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
			नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
i						
ii						
iii	योग					

**अनुसूची 80 झक धारा 80 झक के अधीन कटौतियां**

धारा 80 झक के अधीन कटौतियां	क	उपक्रम सं०	उपक्रम के प्ररूप	उपक्रम के प्ररूप	ध
क धारा 80 झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	क2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
ख धारा 80 झक (4) (iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	ख1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
	ख2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
ग धारा 80 झक (4) (v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुज्जीवन)	ग1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
घ धारा 80 झक के अधीन कुल कटौती (क 1 + क 2 + ख 1 + ख 2 + ग 1)					

**अनुसूची 80 झख धारा 80 झख के अधीन कटौती**

क	क 1	उपक्रम सं०	उपक्रम के प्ररूप	उपक्रम के प्ररूप
ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है [धारा 80 झख (9)]	क 1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	क 2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80 झख (10)]	ख 1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	ख 2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
ग फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या	ग 1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	

	डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80इख(11क)]	ग 2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
घ	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80इख(11क)]	घ 1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
		घ 2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
ङ	धारा 80इख के अधीन कुल कटौती (क1 से घ 2 का योग)				ङ

## अनुसूची-80-इग या 80-इड

धारा 80-इग या धारा 80इड के अधीन कटौतियां

धारा 80-इग के अधीन कटौती	क सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती			क1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
				क2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
	ख हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती			ख1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
				ख2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
	ग उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती			ग1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
				ग1	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
	घ पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती					
	घक	असम	घक1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			घक2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	घख	अरुणाचल प्रदेश	घख1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			घख2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	घग	मणिपुर	घग1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			घग2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	घघ	मिजोरम	घघ1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			घघ2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
घङ	मेघालय	घङ1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
		घङ2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
घच	नागालैंड	घच1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
		घच2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
घछ	त्रिपुरा	घछ1	उपक्रम सं० 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
		घछ2	उपक्रम सं० 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घछ2 का योग)			घज		
ङ	धारा 80इग या धारा 80इड के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज)			ङ		

## अनुसूची-VI- क

अध्याय VI- क के अधीन कटौतियां

कुल कटौतियां	1	भाग ख - कतिपय संदाय के बाबत कटौती			
	क	80छ		ख	80छछख
	ग	80छछक		घ	80छछग
	भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग + घ)				1
	2	भाग ग- कतिपय आय के बाबत कटौती			
	ङ	80इक	(अनुसूची 80इक का च)	च	80इकख
	छ	80इकग		ज	80इकख
	झ	80इखक		ञ	80इग/ इड.
	ट	80अकक		ठ	80अकक
	ड	80ठक(1)	(प्ररूप 10गगच का उपाबंध 9)	ढ	80ठक(1क)
	ण	80फ- ई-फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार लाभांश वितरण का विवरण		त	80तक
	भाग ग के अधीन कुल कटौती (कुल ड से त)				2
	3	अध्याय VI- क के अधीन कुल कटौतियां (1 + 2)			3

अनुसूची एसआई विशेष दर से प्रभार्य आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)

क्र.सं	धारा / विवरण	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
1	111क अथवा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (एमएफ उन्मुख शेर/इक्विटी पर एसटीसी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है)	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5vi)	
2	115 कघ ( एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ जहा एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5vii)	
3	112 परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/यूनिट सूचीकर के बिना)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5X)	
4	112(1)(c)(ii) ( गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5X)	
5	115 कख (अनिवासियों के लिए धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाईयों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5X)	
6	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5X)	
7	115 कघ ( प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5X)	
8	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xi)	
9	112क (शेयरों अथवा यूनिटों की बिक्री दर एलटीसीजी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है अथवा धारा 115कघ (1)(ख)(iii)-परन्तुक	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x)	
10	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एसटीसीजी	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5ix)	
11	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एलटीसीजी	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5xii)	
12	115ख (जीवन बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	12.50	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5iii)	
13क	115कग (विदेशी कंरसी में क्रय किए गए बंधपत्रों से प्राप्त ब्याज से अनिवासी की आय)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग X)	
13ख	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभों पर आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग xi)	
14	115 खख (लॉटरी, वर्ग पहली, दौड़, खेल आदि से जीत)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओ.एस का 2क)	
15	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर )				
	क कारबार या वृत्ति से आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.पी का 3च)	
	ख पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)	
16	115 खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या 69घ के अधीन आय)	<input type="checkbox"/>	60	(अनुसूची ओ.एस का 2ख)	
17	115क(1)(ख)(क) तथा 115क(1)(ख)(ख)(रायल्टी तथा तकनीकी सेवाओं हेतु फीस से विदेशी कंपनी की आय )	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग xix)	
18	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.पी का 3घ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का 2ग xvii)	
19	115खखड (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.पी का 3ड)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का 2ग xviii)	
20	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2ड का भाग)	
21	15 प्रतिशत की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थूँ आय	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5vi का भाग)	
22	30 प्रतिशत की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थूँ आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5vii का भाग)	
23	112क के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5X का भाग)	
24	20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थूँ आय	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xi का भाग)	
25	धारा 112क से भिन्न 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5X का भाग)	
26	विशेष दरों से प्रभार्य अन्य स्रोतों की प्रकृति की पास थूँ आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2घ )	
27	एक विदेशी (आफ शोर) निधि द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदी गई यूनिटों के बारे में प्राप्त की गई आय-115कख(1)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का 2ग X)	
28	रायल्टी से आय जहां 31.3.1961 से 31.3.1976 के बीच करार किया गया और तकनीकी सेवाओं से फीस से आय जहां करार 29.2.1964 से 31.3.1976, के बीच किया गया और करार का केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। <b>Paragraph EII of Part I of first schedule of Finance Act</b>	<input type="checkbox"/>	50	(अनुसूची ओ.एस का 2ग xix)	
29	अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्य होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्राप-डाउन दिया जाएगा)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2ग का भाग)	
			योग		

## अनुसूची झ.च

अनिगमित संस्थाओं में निवेश के संबंध में सूचना

संस्था जिसमें निवेश किया गया	संस्थाओं की संख्या जिसमें निवेश किया गया है							लाभ की शेयर राशि I	संस्था में 31 मार्च को पूंजीगत शेष II
	क्रम सं.	संस्था का नाम	संस्था का प्रकार	संस्था का पैन	क्या संस्था परीक्षा के लिए उत्तरदायी है? (हां/नहीं)	क्या संस्था पर धारा 92इ लागू होती है? (हां/नहीं)	संस्था के लाभ में शेयर प्रतिशत		
1									
2									
3									
4	कुल								

## अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (वह आय जो कुल आय में सम्मिलित नहीं है या कर से प्रभाय नहीं है।)

छूट प्राप्त आय	1 ब्याज से आय							1	
	2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)	i					
	ii	कृषि पर उपगत व्यय	ii						
	iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेहित कृषि हानि	iii						
	iv	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) तथा 8 से संबंधित कृषि आय ( अनुसूची बी.पी के क्रम सं. 39 से)	iv						
	v	वर्ष (i-ii-iii+iv) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)					2		
	vi	यदि वर्ष के लिए कृषिगत आय 5 लाख ₹0 से अधिक है तो, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए (प्रत्येक कृषिगत भूमि के लिए अलग से ब्यौरे दीजिए)							
	क	जिला का नाम पिन कोड सहित, जहाँ कृषिगत भूमि है							
	ख	एकड़ में कृषिगत भूमि का नाम							
	ग	क्या कृषिगत भूमि का स्वामित्व रखते हैं या पट्टा पर ली है (ड्राप डाउन दिया जाए)							
	घ	क्या कृषिगत भूमि सिंचित है या वर्षा पर आश्रित है (ड्राप डाउन दिया जाए)							
3	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया उल्लेख करें) (3क+3ख+3ग+3घ)							3	
	क	धारा 10(23चख) अथवा 10(23चखक) या 10 (23चग) या 10(23चगक) या 10(23चड) या 10(23चच) या 10(4घ) के तहत आय (कृपया प्रपत्र दाखिल करने की तिथि तथा पावती संख्या का विवरण प्रदान करें ( यदि 10(23चच तथा 10(4घ) के तहत दावा किया गया है।) के तहत ड्रापडाउन प्रदान करें तथा पंक्ति विकल्प शामिल करें।	3क						
	ख	कोई अन्य आय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)- प्रदत्त आय की प्रकृति वर्णन करें।	3ख						
4	डी.टी.ए.ए के अनुसार आय जो कर से प्रभाय नहीं है								
	क्र.सं;	आय की राशि	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद	आय का शीर्ष	क्या टीआरसी लिया गया है (हाँ/ना)		
	I								
	II								
	III	डीटीएए से कुल आय जो कर से प्रभाय नहीं है						4	
5	पास थूँ आय जो कर से प्रभाय नहीं है (अनुसूची पीटीआई)							5	
6	योग (1+2+3क +3ख +4+5)							6	

## अनुसूची पीटीआई

धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश निधि वितरित चालू वर्ष हानि का शेयर	निवल आय/हानि 9=7-8	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.		(ड्राप डाउन प्रदान किया जाता है)			i	गृह संपत्ति				
					ii	पूँजी अभिलाभ				
					क	अल्पकालिक अवधि				
					का	धारा 111क				

					काii	अन्य				
					ख	दीर्घकालिक अवधि				
					खा	धारा 112				
					खाii	धारा 112A				
				iii	अन्य स्रोत					
				क	लाभांश					
				ख	अन्य					
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन					
				ख	धारा .....के अधीन					
				ग	धारा.....के अधीन					
2.				i	गृह संपत्ति					
				ii	पूँजी अभिलाभ					
				क	अल्पकालिक अवधि					
				का	धारा 111क					
				काii	अन्य					
				ख	दीर्घकालिक अवधि					
				खा	धारा 112क					
				खाii	धारा 112क से भिन्न					
				iii	अन्य स्रोत					
				क	लाभांश					
				ख	अन्य					
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन					
				ख	धारा .....के अधीन					
				ग	धारा.....के अधीन					

टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची एमएटी		धारा 115अख के अधीन संदेय न्यूनतम बैकल्पिक कर की संगणना	
न्यूनतम बैकल्पिक दर	1	क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	<input type="checkbox"/>
	2	यदि 1 ना है तो क्या लाभ और हानि लेखा प्रकार की कम्पनी को शासित करने वाले अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	<input type="checkbox"/>
	3	क्या ऊपर स्तंभ 7 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए समान लेखा नीतियों, लेखा मानक का अनुपालन किया गया और अवक्षणय की संगणना करने के लिए दरों की समान पद्धति कंपनी वार्षिक साधारण निकाय बैठक में कंपनी के समक्ष अधिकथित तैयार लेखा के लिए भी अपनाई गई है ? (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	<input type="checkbox"/>
	4	लाभ और हानि लेखा में यथादर्शित कर पश्चात् लाभ भाग क पी एंड एल की मद 56 प्रवि-ट करें) / ( भाग क-पी एल आईएनडी ए एस की मद 56 में प्रविष्ट करें) (जो लागू हो)	4
	5	योग (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित है)	
	क	आरथगत कर की रकम और उसके लिए उपबंध समेत संदत्त या संदेय आय कर या उसका उपबंध (एफबीटी से भिन्न)	5क
	ख	आरक्षित (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय)	5ख
ग	अभिनिश्चित न किए गए दायित्व के लिए उपबंध	5ग	
घ	समनु-ंगी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध	5घ	
ङ	संदत्त या प्रस्तावित लाभांश	5ङ	
च	धारा 10, 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	5च	

	छ	एओपी/बीओआई की आय में शेयर से संबंधित व्यय पर जिस पर धारा 86 के अनुसार आय कर संदत नहीं हैं	5छ		
	ज	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चख) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में व्यय	5ज		
	झ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चग) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनियों के अंतरण पर संकेतन हानि	5झ		
	ञ	115खखच के अधीन कर पर प्रभार्य पेटेंट की बाबत स्वामित्व के मद्धे आय से संबंधित व्यय	5ञ		
	ट	आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षयण	5ट		
	ठ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनियों के अंतरण पर अभिलाभ	5ठ		
	ड	अन्य (अवशि-ट असमायोजित मदों और किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध सहित)	5ड		
	ढ	कुल कटौतियां (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ+5च+5छ+5ज+5झ+5ञ+5ट+5ठ+5ड)		5ढ	
6	कटौतियां				
	क	आरक्षित से निकाली गई रकम या यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है तो उपबंध	6क		
	ख	धारा 10, 11 और 12 के अधीन आय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	6ख		
	ग	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित और लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम से निकली गई उस सीमा तक जब तक आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होने की सीमा तक	6ग		
	घ	एओपी/ बीओआई की आय में अंश जिस पर लाभ और हानि खाते में जमा धारा 86 के अनुसार आय कर संदत नहीं हैं	6घ		
	ङ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiघ) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में आय	6ङ		
	च	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiङ) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनियों के अंतरण पर संकेतन हानि	6च		
	छ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनियों के अंतरण पर हानि	6छ		
	ज	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiछ) में निर्दिष्ट स्वामित्व के मद्धे आय	6ज		
	झ	अग्रनित की गई हानि या गैर आमेलित अवक्षयण जो भी कम हो या दोनों जो भी लागू हो ।	6झ		
	ञ	रुग्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ जो शुद्ध लाभ के बराबर या एकत्रित हानियों से अधिक है ।	6ञ		
	ट	अन्य (अवशि-ट असमायोजित मदों और लाभ और हानि लेखा में जमा किए गए आस्थगित कर की रकम सहित)	6ट		
	ठ	कुल कटौतियां (6क+6ख+6ग+6घ+6ङ+6च+6छ+6ज+6झ+6ञ+6ट)		6ठ	
7	धारा 115अख के अधीन कुल लाभ (4+ 5ढ - 6ठ)				
8	क्या कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (आईएनडी-एस) के अनुपालन में कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, यदि हां तो नीचे ब्यौरे प्रस्तुत करें ।				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	क. धारा 115अख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन अतिरिक्त खाता लाभ				
	क	शोष वे मदें, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय		8क	
	ख	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम		8ख	

ग	धारा 115अख(2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ग	
घ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8घ	
ङ	कुल जोड़ (8क + 8ख + 8ग + 8घ)	8ङ	
ख. धारा 115अख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन खाते से कटौती			
च	शीर्ष वे मर्दे, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय	8च	
छ	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8छ	
ज	धारा 115अख(2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ज	
झ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8झ	
ञ	कुल जोड़ (8च + 8छ + 8ज + 8झ)	8ञ	
9	धारा 115अख (7 + 8ङ - 8ञ) के अधीन समझी गई कुल आय	9	
क	धारा 115अख के अधीन आई.एफ.एस.सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	9क	
ख	धारा 115अख के अधीन इकाईयों (9-9क) के अलावा समायोजित कुल आय	9ख	
10	धारा 115अख के अधीन संदेय कर [(9क) का 9% + (9ख) का 15%]	10	

अनुसूची एमएटीसी		धारा 115 अख के अधीन कर प्रत्यय की संगणना				
1	निर्धारण वर्ष 2023-24 में धारा 115अख के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 1घ)	1				
2	निर्धारण वर्ष 2023-24 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 2छ)	2				
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध प्रत्यय उपलब्ध है [यदि 2 1 से बड़ा है तो (2-1) प्रवि-ट करें, अन्यथा 0 प्रवि-ट करें]	3				
4	उपलब्ध एमएटी प्रत्यय का उपयोग [चालू वर्ष के दौरान उपयोग किए गए एमएटी प्रत्यय की राशि ऊपर 3 में वर्णित रकम के अधिकतम के अधीन है और अग्रणीत एमएटी प्रत्यय की राशि से अधिक नहीं हो सकती]					
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	एमएटी प्रत्यय			चालू वर्ष के लिए एमएटी प्रत्यय (घ)	अग्रणीत बकाया एमएटी प्रत्यय (घ) [घ = ख3 - ग]
		सकल (ख1)	पूर्व के वर्षों में मुजरा किए गए (ख2)	अग्रणीत अतिशेन (ख3) = (ख2) - (ख1)		
I	2008-09					
ii	2009-10					
iii	2010-11					
iv	2011-12					
v	2012-13					
vi	2013-14					
vii	2014-15					
viii	2015-16					
ix	2016-17					
x	2017-18					
xi	2018-19					
xii	2019-20					
xiii	2020-21					
xiv	2021-22					
xv	2022-23					
xvi	2023-24 [(का क्रम संसं1 -क्रम सं2)-अनुसूची भाग ख का क्रम सं 6ग-2च) टीटीआई केवल यदि सकारात्मक है)					
xvii	योग					
5	वर्ष के दौरान उपयोग की गई धारा 115अख के अधीन कर प्रत्यय की रकम [4ग (Xvi) प्रवि-ट करें]				5	
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों में प्रत्यय के लिए उपलब्ध एमएटी दायित्व की रकम [4(घ) Xvi प्रवि-ट करें]				6	

## अनुसूची-बीबीएस

शेयरों की पुनःखरीद पर घरेलू कंपनी की वितरित आय पर कर के ब्यौरे

क्रम	विवरण		पहले क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	दूसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	तीसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे			
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)			
1	क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर शेयर धारकों को किसी प्रतिफल के संदाय की तारीख		(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)			
2	कंपनी द्वारा क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर संदत्त प्रतिफल की रकम							
3	इस प्रकार शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त रकम							
4	कंपनी की वितरित आय (2-3)							
5	वितरित आय पर संदेय कर	क	धारा 115ण के अधीन (3-4 पर) 20% की दर से संदेय अतिरिक्त क					
		ख	क पर अधिभार					
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (क+ख) पर					
		घ	कुल संदेय कर (क+ख+ग)					
6	धारा 115घख के अधीन संदेय ब्याज							
7	संदेय अतिरिक्त आयकर और संदेय ब्याज (5घ+ 6)							
8	संदत्त कर और ब्याज							
9	शुद्ध संदेय/प्रतिदेय (7-8)							
10	वितरित कर पर कर के जमा की तारीखें		तारीख 1	तारीख 2	तारीख 1	तारीख 2	तारीख 1	तारीख 2
			(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)
11	बैंक और शाखा का नाम							
12	बीएसआर कोड							
13	चालान की क्रम संख्या							
14	जमा रकम							

## अनुसूची टीपीएसए

ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार धारा 192 गअ(2क) में द्वितीयक समायोजन पर कर का विवरण

क्रम	विवरण		दिनांक 1	दिनांक 2	दिनांक 3	दिनांक 4	दिनांक 5	दिनांक 6
	(i)	(ii)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)
1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड(2क) के अन्तर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है तथा ऐसी जयादा राशि निर्धारित समय के भीतर प्रत्यावर्तित नहीं की गई है (कृपया समस्त नि. वर्षों के संबंध में किए गए समायोजन का कुल योग इंगित करें)							
2	क	उपरोक्त पर 18% की दर से देय अतिरिक्त आय कर						
	ख	क पर 12% की दर से अधिभार						
	ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर						
	घ	(क+ख+ग) पर देय कुल अतिरिक्त कर						
3	अदा किए गए कर							
4	(2घ-3) देय निवल कर							
5	धारा 92गड(2क) के अनुसार द्वितीय समायोजन पर कर के जमा करने की तारीख	दिनांक 1	दिनांक 2	दिनांक 3	दिनांक 4	दिनांक 5	दिनांक 6	
6	बैंक तथा शाखा का नाम							
7	बीएसआर कोड							
8	चालान की क्रम सं.							
9	जमा की राशि							



अनुसूची- एफएसआई			भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत (निवासी के मामले में ही उपलब्ध)						
क्र. सं.	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	भारत के बाहर से आय (भाग बीटीआई में सम्मिलित)	भारत के बाहर संदत्त	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन इस आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (₹.)=(ग) या (घ) जो भी कम हो	डीटीए का संबंधित अनुच्छेद यदि राहत का दावा धारा 90न के अधीन किया गया है
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ.)	(च)
1			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
				योग					
2			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
				योग					
टिप्पण ▶			कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें						

अनुसूची-टीआर		भारत से बाहर संदत्त कर के लिए दावाकृत कर राहत का संक्षिप्त विवरण (निवासी के मामले में ही उपलब्ध)				
भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत	1	दावाकृत कर राहत के ब्यौरे				
		देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	भारत से बाहर कुल संदत्त कर (प्रत्येक देश के बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश के बाबत अनुसूची एफएसआई के (ङ.) का योग)	धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90 क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ.)
				योग		
	2	देश जहां डीटीए लागू है, के बाबत उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90/20क) (1घ के योग का भाग)				2
	3	देश जहां डीटीए लागू नहीं है, के बाबत उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 91) (1घ के योग का भाग)				3
	4	क्या भारत के बाहर संदत्त कोई कर, जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात या वर्ग के दौरान विदेशी कर प्राधिकरण				4
		क	प्रतिदेय कर की रकम	ख	वह निर्धारित वर्ग जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात किया गया था	हां/नहीं
टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें				

अनुसूची वि.आ.		भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा										
विदेशी आस्तियों के ब्यौरे	अ1	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी ब्याज शामिल)										
	क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
	आ2	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)										

क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
<b>अ3</b>	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
<b>अ4</b>	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
<b>ख</b>	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
<b>ग</b>	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			

									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
<b>घ</b>	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आसूति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आसूति की प्रकृति	स्वामित्व-सौधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
<b>ङ</b>	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।											
क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
<b>च</b>	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।											
क्र. सं०	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
<b>छ</b>	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरे जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			

(i)									
(ii)									

**टिप्पण** ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

**अनुसूची एसएच-1**

असूचीबद्ध कम्पनी की शेयर धृति (एक कंपनी से भिन्न जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत है अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 3(2) के अन्तर्गत गारंटी द्वारा एक कंपनी लिमिटेड अथवा एक स्टार्टअप जिसके लिए अनुसूची एसएच-2 भरा जाना है को छोड़कर)

यदि आप असूचीबद्ध कम्पनी है, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें:-

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धृति का ब्यौरा

शेयर धारक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन / आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्राप्त रकम

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आबंटन के लिए लंबित साधारण शेयर आवेदन धनराशि का ब्यौरा

आवेदक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आवेदन की तारीख	आवेदन किये गए शेयरों की संख्या	प्राप्त आवेदन धनराशि	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रस्तावित निर्गमन कीमत

ऐसे शेयर धारक का ब्यौरा जो पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धारक नहीं है परन्तु पूर्व वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय शेयर धारक था

शेयर धारक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्राप्त रकम	आबंटन की तारीख	तारीख जिसको शेयर धारक के लिए समाप्त किया गया	समाप्ति का माध्यम	नए शेयर धारक के पैन के अंतरण की दशा में

**अनुसूची एसएच-2**

स्टार्ट-अप की शेयर धृति

यदि आप वह स्टार्ट-अप है जिसने डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019, के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है कृपया शेयर धारण के ब्यौरे प्रस्तुत करें:-

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर यथा शेयर धृति का ब्यौरा

शेयर धारक का नाम	शेयर धारक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य	शेयर प्रीमियम

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आबंटन के लिए लंबित साधारण शेयर आवेदन धनराशि का ब्यौरा

आवेदक का नाम	आवेदक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आवेदन की तारीख	आवेदन किए गए शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर प्रस्तावित निर्गमन कीमत	शेयर आवेदन धनराशि	शेयर आवेदन प्रीमियम

ऐसे शेयर धारक का ब्यौरा जो पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धारक नहीं है परन्तु पूर्व वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय शेयर धारक था

शेयर धारक का नाम	शेयर धारक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य	तारीख जिसको शेयर धारक के लिए समाप्त किया गया	समाप्ति का माध्यम	नए शेयर धारक के पैन के अंतरण की दशा में

**टिप्पण** पदों- “जोखिम पूंजी कंपनी”, “जोखिम पूंजी निधि” और “विनिर्दिष्ट कंपनी”, की परिभाषा के लिए, कृपया डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 देखें

**अनुसूची ए.एल-1**

वर्ष की समाप्ति पर आस्तियां और दायित्व (किसी असूचीबद्ध कंपनी द्वारा भरा जाना आज्ञापक रूप से अपेक्षित है) (किसी स्टार्ट-अप से अन्य जिसके द्वारा अनुसूची ए.एल-2 भरना जाना है)

क आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे												
क्र.सं.	पता		पिन कोड		अर्जन की तारीख		अर्जन की कीमत (रु.)			प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (झोप-डाउन दिया जाए)		
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)			(6)		
(i)												
(ii)												
ख घर की प्रकृति आवासीय न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे												
क्र.सं.	पता		पिन कोड		अर्जन की तारीख		अर्जन की कीमत (रु.)			प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (झोप-डाउन दिया जाए)		
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)			(6)		
(i)												
ग सूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्यौरा												
आरंभिक अतिशेष			वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर				वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर			अंत अतिशेष		
शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
घ असूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्यौरा												
कंपनी का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर		अंत अतिशेष	
		शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत
ङ अन्य प्रतिभूतियों के ब्यौरे												
प्रतिभूतियों के प्रकार	क्या सूचीबद्ध या असूचीबद्ध है	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित की गई प्रतिभूतियां					वर्ष के दौरान अंतरित की गई प्रतिभूतियां		अंत अतिशेष	
		प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	प्रतिभूतियों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रतिभूतियों की निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति प्रतिभूति क्रय कीमत (विद्यमान धारक से क्रय की दशा में)	प्रतिभूतियों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत
च अन्य अस्तित्व को पूंजी अभिदाय के ब्यौरे												
अस्तित्व का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अभिदाय की गई रकम	वर्ष के दौरान निकाली गई रकम	वर्ष के दौरान विकलित या जमा किए गए लाभ /हानि/लाभांश/ब्याज की रकम			अंत अतिशेष			
छ किसी अन्य समुत्थान को उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहकारी निर्धारिता का सार्वान कारवार नहीं है )												
व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष		प्राप्त रकम	संदत रकम	विकलित ब्याज, यदि कोई हो		अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)			
ज मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे												
आस्ति का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.		अर्जन की कीमत		अर्जन की तारीख			प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (झोप-डाउन दिया जाए)				
झ आभूषण, पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोने- चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा												
आस्ति का विवरण	मात्रा		अर्जन की कीमत		अर्जन की तारीख			उपयोग का प्रयोजन (झोप-डाउन दिया जाए)				
ञ दायित्वों के ब्यौरे												

वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे							
व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत्त रकम	जमा किया गया ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें

### अनुसूची ए.एल-2 वर्ष के अंत में अस्तित्वां और दायित्व (केवल स्टार्ट-अप के लिए लागू)

यदि आप एक ऐसे स्टार्ट-अप हैं जिसमें डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है, कृपया निगमन की तारीख से वर्ष के अंत तक की अवधि के लिए निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :-								
क	निगमन से अर्जित आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे							
	क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (₹.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	(i)							
(ii)								
ख	निगमन से अर्जित आवासीय घर न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे							
	क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (₹.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	(i)							
ग	निगमन से दिए गए उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहकारी निर्धारिती का सारवान कारवार नहीं है)							
	व्यक्ति का नाम	पैन	तारीख जिसको उधार और अग्रिम दिए गए हैं	उधारों और अग्रिमों की रकम	रकम	क्या उधार और अग्रिम का प्रतिसंदत्त हो गया है, यदि हां तो ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	ब्याज की दर यदि कोई हो
घ	निगमन से अन्य अस्तित्व को किए गए पूंजी अभिदाय के ब्यौरे							
	अस्तित्व का नाम	पैन	तारीख जिसको पूंजी अभिदाय किया गया है	अभिदाय की रकम	निकाली गई रकम यदि को हो	वर्ष के दौरान विकलित या प्रत्यय किए गए लाभ /हानि/लाभांश/ब्याज की रकम	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
ङ	शेयरों और प्रतिभूतियों के अर्जन के ब्यौरे							
	कंपनी/अस्तित्व का नाम	पैन	शेयरों /प्रतिभूतियों के प्रकार	अर्जित शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो
च	मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे, जिसकी वास्तविक कीमत निगमन से अर्जित दस लाख रुपयों से अधिक है							
	आस्ति का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख		
छ	निगमन से अर्जित आभूषणों का ब्यौरा							
	आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
ज	निगमन से अर्जित पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोना चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा							

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे

आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
<b>झ</b> दायित्वों के ब्यौरे							
वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे							
व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत रकम	जमा किया गया ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)

**टिप्पण ▶** कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें

**अनुसूची जीएसटी** आवर्तन/ रिपोर्ट की गई सकल रसीद के संबंध में सूचना

क्र.सं.	जीएसटीआईएन (सं.)	फाइल की गई जीएसटी विवरणी (विवरणियों) के अनुसार जाबक पूर्तियों का वार्षिक मूल्य
(1)	(2)	(3)

**टिप्पण ▶** कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन संख्या के लिए पृथक रूप से सूचना उपर प्रस्तुत करें

**अनुसूची एफ.डी** विदेशी करेंसी में संदाय/प्राप्ति के ब्यौरे (निर्धारित जो धारा 44कख के अधीन लेखों की संपरीक्षा करवाने हेतु दायी नहीं है)

क्रम सं.		रकम (रुपये में)
i	पूँजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान किए गए संदाय	
ii	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान किए संदाय	
iii	पूँजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	
iv	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	

**टिप्पण ▶** कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को विनिर्दिष्ट करें

**भाग - ख**

**भाग ख कुल आय** कुल आय की संगणना

कुल आय	1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृहसंपत्ति का 4) (शून्य प्रवि-ट करें यदि हानि हो)	1	
	2	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि सटटे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि		
	i	सटटे का कारबार और विनिर्दि-ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि (अनुसूची -बीपी का क 38) (शून्य प्रवि-ट करें यदि हानि हो)	2i	
	ii	सटटे का कारबार से लाभ हानि अनुसूची बीपी की तालिका च के 3(ii) (यदि हानिक हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल के आंकडे लें)	2ii	
	iii	विनिर्दि-ट कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची बीपी की तालिका च का 3(iii)) (यदि हानि हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल का आंकडे लें)	2iii	
	iv	विशेष दरों पर कर से प्रभाय आय (अनुसूची बी.पी की तालिका च का 3घ, 3ड, 3च और 4ख)	2iv	
	v	कुल (2i + 2ii+2iii + 2iv)	2v	
	3	पूँजी अभिलाभ		
	क	अल्पकालिक		
	i	अल्पकालिक प्रभाय 15% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9ii)	का	
ii	अल्पकालिक प्रभाय 30% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9 iii)	काii		
iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभाय (अनुसूची सीजी की मद ड के 9 iv)	काiii		
iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्प-कालिक प्रभाय (अनुसूची सीजी के मद ड की 9v)	काiv		
v	कुल अल्पकालिक (का + काii+काiii + काiv) (यदि हानि तो शून्य प्रविष्ट करे)	3कv		
ख	दीर्घकालिक			
i	दीर्घकालिक प्रभाय 10% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9vi)	खा		

	ii	दीर्घकालिक प्रभार्य 20% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9vii)	खांii	
	iii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड की 9viii)	खांiii	
	iv	कुल दीर्घकालिक (खां + खांii + खांiii) (यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट करें)	3खांiv	
ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ की राशि (3कv + 3खांiv) (यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)			3ग
घ	धारा 115खखज के तहत 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)			3घ
ङ	कुल पूंजीगत अभिलाभ (3ग + 3घ)			3ङ
4	अन्य स्रोतों से आय			
	क	साधारण लागू दरों पर कर से प्रभार्य स्रोतों से अन्य शुद्ध आय / अनुसूची ओएस का 6) (यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट करें)	4क	
	ख	आय पर प्रभार्य कर विशेष दर पर (अनुसूची ओ एस का 2)	4ख	
	ग	दोड़ के घोड़े के स्वामित्व और रख-रखाव के क्रिया कलापों से आय (अनुसूची ओ एस का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट करें)	4ग	
	घ	कुल (4क+ 4ख+ 4ग)		4घ
5	शीर्ष-वार आय का योग (1 + 2व + 3ड + 4घ)			5
6	5 के लिए मुजरे के चालू वर्ग की हानियां (अनुसूची सीवाईएलए का कुल 2xvii, 3xvii तथा 4xvii)			6
7	चालू वर्ग की हानियों के मुजरा करने के पश्चात् अतिशेन (5-6) अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं (ii), (iii), (v) से (xv) तक का योग + 4ख + 2iv)			7
8	7के विरुद्ध मुजरा किए जाने योग्य अग्रनीत की गई हानि (बीएफएलए अनुसूची का कुल 2xvi, 3xvi तथा 4xvi)			8
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं (i), (ii), (iv) से (xiv) तक का योग + 4ख + 2iv)			9
10	9 में सम्मिलित, धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन आय पर विशेष दर से प्रभार्य कर			10
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां			
	क	अनुसूची 6क का भाग ख [अनुसूची V/क का 1 तथा बीएफएलए के 15+ii5+iv5+v5+viii5+xiii5+xiv5 तक सीमित]	11क	
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग (अनुसूची V/क का 2)	11ख	
	ग	कुल (11क + 11ख) (9-10) तक सीमित]	11ग	
12	धारा 10कक के अधीन कटौतियां (योग अनुसूची 10कक)			12
13	कुल आय (9- 11ग -12)			13
14	विशेन दर पर आय पर प्रभार्य कर (अनुसूची एस आई के (i) का योग)			14
15	मामूली दर पर आय पर प्रभार्य कर (13 - 14)			15
16	शुद्ध कृनि आय/दर प्रयोजन के लिए कुल अन्य (अनुसूची ईआई का 3)			16
17	चालू वर्ग की हानिया जो अग्रनीत की जानी है (अनुसूची सीएफएल का xviii) का योग			17
18	धारा 115 जख के अधीन समझी जाने वाली कुल आय (अनुसूची एमएटी का 9)			18

## भाग ख - कुल आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	1	क	धारा 15जख के अधीन समझी जानी वाली कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 10)	1क	
		ख	ऊपर (क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1ख	
		ग	उपर (1क+1ख) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	1ग	
		घ	धारा 115जख के अधीन संदेय कुल कर (1क + 1ख + 1ग)	1घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर			
		क	भाग ख- टी आई की मद 15 पर मामूली दरों पर कर	2क	
		ख	विशेन दरों पर कर (अनुसूची एस आई (ii) का योग)	2ख	
		ग	(2क + ख) कुल आय पर संदेय कर	2ग	
		घ	अधिभार		
		i	एस.आई अनुसूची 16 का 25%	2घा	
		ii	एस.आई अनुसूची का 16 - 2ग)	2घाii	
		iii	कुल (i + ii)	2घाiii	
		ङ	(2ग+2घाiii) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	2ङ	
		च	सकल कर दायित्व (2ग+2 घाiii + 2ङ)	2च	
3	सकल संदेय कर (1घ और 2छ की उच्चतर प्रवि-ट करें)			3	



	4	पूर्ववर्ग में धारा 115 जकक के अधीन जमा संदत्त कर (यदि 2छ 1घ से अधिक हो तो) (एमएटीसी अनुसूची का 5)	4	
	5	धारा 115जकक के अधीन जमा के पश्चात संदेय कर [(3 - 4)]	5	
	6	कर अनुतो-1		
		क धारा 90/90क (अनुसूची टीआर का 1क 12 का योग)	6क	
		ख धारा 91 (अनुसूची टीआर का 1बी23 का योग)	6ख	
		ग कुल (6क + 6ख)	6ग	
	7	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य प्रवि-ट करे)	7	
	8	संदेय ब्याज और फीस		
		क विवरणी देने में चूक के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क	
		ख अग्रिम कर में भुगतान में चूक के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख	
		ग अग्रिम कर आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग	
		घ आय विवरणी प्रस्तुत न करने पर चूक के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ	
		ङ कुल संदेय ब्याज (8क+8ख+8ग +8घ)	8ङ	
	9	सकल दायित्व (7 + 8ङ)	9	
	10	संदत्त कर		
		क अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)	10क	
		ख टीडीएस (15ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख	
		ग टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग	
		घ स्व निर्धारण कर (15घ के स्तंभ 5 से)	10घ	
		ङ कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग +10घ)	10ङ	
	11	संदेय रकम (9 - 10ङ) (यदि 9 10ङ से अधिक है तो शून्य प्रवि-ट करे)	11	
	12	प्रतिदाय (यदि 10ङ 9 से अधिक है) (यदि कोई प्रतिदाय हो तो सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएगी)	12	
	13	क्या आपका भारत में कोई बैंक खाता है, भारत में बिना बैंक खाते वाले प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी नहीं का विकल्प चुन सकते हैं)		
	(क)	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (डोरमैट खाते को छोड़कर)		
		क्रम सं. यदि बैंक खाता भारत में है तो बैंक का आई.एफ.एस.सी कोड	बैंक का नाम	खाता सं
		i		
		ii		
		खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय क्रेडिट यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं (एक खाता पर निशान लगाएं)		
		नोट:		
		1) प्रतिदाय क्रेडिट हेतु न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए		
		2) प्रतिदाय के केस में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए नानाविध(मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय सीपीसी द्वारा विवरणी के संसाधन के बाद निर्णित खाते में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा		
	(ख)	अनिवासी: जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में बैंक खाता नहीं है, तो वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत कर सकते हैं		
		क्रम सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम
				देश का नाम(लोकेशन)
				आई.बी.ए.एन
		यथा अपेक्षित पंक्ति बढ़ाई जा सकती है		
	14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय i (भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां )जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है (को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। ii (भारत के बाहर स्थित किसी लेखा में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या iii (भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है?) निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें (		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

## 15 अनुसूची-आयकर

	क	अग्रिम कर और आयकर के स्वतन्निर्धारण कर संदाय के ब्यौरे				
		क्र.सं	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ग)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)
		i				
		ii				
		iii				
		iv				
		v				
		vi				

टिप्पण-भाग ख-टीटीआई की क्रम सं० 10क और 10घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर प्रवि-ट करें।

स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ/ 16ड के अनुसार]												
क्र.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस प्रत्यय नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय दूसरे व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरायेदार/क्रेता का पैन/ आधार सं.	अग्रणीत किया गया अदावाकृत टीडीएस (बी/एफ)	चालू वित्त वर्ष का टीडीएस(वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान काटा गया टीडीएस		इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित , लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।			तदनुरूपी रसीद/ आहरण प्रस्तुत की गई	अग्रणीत किया जा रहा टीडीएस प्रत्यय	
(1)	(2)	(3)	(4)	वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	टीडीएस बी/एफ	अपने हाथों में की गई कटौती	नियम 37खक(2) (यदि लागू हो)	अपने हाथों में किया गया दावा	नियम 37 खक(2) के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)	सकल रकम	आय का शीर्ष	(13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							आय	टीडीएस	आय	टीडीएस	पैन/ आधार सं.	
i												

टिप्पण ► कृपया भाग ख-टीटीआई के स्तभ-9 में 10ख के योग को प्रविष्ट करें

ग स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरे [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]											
क्र. सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस नियम 37-आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	अन्य व्यक्ति का पैन( यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	अग्रणीत अदावाकृत टी.सी.एस		चालू वित्त वर्ष का टी.सी.एस (वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान संग्रहित टीसीएस)		इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस		टी.सी.एस जमा आगे लाया गया	
				वित्तीय वर् जिसमें संग्रहीत किया गया	अग्रणीत रकम	स्वयं संग्रहित किया	नियम 37- आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा	स्वयं दावा किया गया	नियम 37- आई (1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि अनुप्रयोज्य हो)		
(1)	(2i)	(2ii)	(3)	(4)	(5)	(6i)	(6ii)	(7i)	(7ii)	(8)	
i									टी.सी.एस	पैन	
ii											

टिप्पण ► कृपया भाग ख-टीटीआई के 10ग में स्तभ (7i) का योग भरें

## सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री.....यह घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और इसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार सही और पूर्ण है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं..... (ड्रॉप-डाउन दिया जाए) की हैसियत से यह विवरणी दे रहा/ रही हूँ और इस विवरण को देने और इसका सत्यापन करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी लेखा संख्यांक.....धारण कर रहा हूँ (यदि आर्बिटिट हो) (कृपया अनुदेश देखें)।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92घ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख.....

स्थान .....

यहां हस्ताक्षर करें

फार्म	भारतीय आयकर विवरणी सत्यापन फार्म	निर्धारण वर्ष
-------	----------------------------------	---------------

आईटीआर -V	[जहां आयकर विवरणी के डाटा फार्म आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में दायर किए गए परन्तु इलैक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित नहीं किए गए] (कृपया आयकर नियमावली, 1962 का नियम 12 देखें)		2023-24
नाम			
स्थायी खाता संख्या		फार्म संख्या	
दायर धारा		ई-फाइलिंग पावती संख्या	
सत्यापन			
<p>मैं.....का पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ मेरे सर्वोत्तम विश्वास तथा ज्ञान के अनुसार इस विवरणी में दी गई सूचना जिसे मेरे द्वारा पावती संख्या द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सत्य एवं पूर्ण है और वह आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार है। मैं आगे यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस विवरण को अपनी क्षमता के रूप में बना रहा/रही हूँ और मैं इस विवरणी को बनाने तथा इसे सत्यापित करने में सक्षम भी हूँ। मेरा स्थाई खाता संख्या (पैन) है ।</p>			
हस्ताक्षर 			
प्रस्तुत करने की तारीख		स्रोत आई.पी पता	
सिस्टम सृजित वार कोड/क्यूआर कोड			
<b>अनुदेश:</b>			
<p>5. कृपया आप आधार ओटीपी का प्रयोग करके नेट बैंकिंग लॉगिन के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट के लॉगिन अथवा पूर्ण वैधता वाले बैंक खाते/डोरमेट अकाउंट का प्रयोग करके सृजित प्राप्त किए गए ई.वी.सी अथवा बैंक एटीएम के जरिए सृजित ईवीसी का प्रयोग करके इलैक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई विवरणी को ई-सत्यापित करे अथवा वैकल्पिक रूप से विधिवत हस्ताक्षरित (प्राथमिकता ब्लू इंक में) फार्म आई.टी.आर-V को केवल स्पीड पोस्ट द्वारा "केंद्रीयकृत संसाधन केंद्र, आयकर विभाग, बंगलूरू-560500" को भेज सकते हैं ।</p>			
<p>6. आईटीआर-V फार्म आयकर विभाग के किसी अन्य कार्यालय में अथवा किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं किया जाएगा। आईटीडी-सीपीसी में इस फार्म आईटीआर-V प्राप्त करने की पुष्टि ई-फाइलिंग अकाउंट में पंजीकृत ई-मेल आईडी को भेजी जाएगी।</p>			
<p>7. सफलतापूर्वक सत्यापन पर विवरणी दायर करने की पावती को आय विवरणी दायर करने की प्रक्रिया के पूरा होने के साक्ष्य के रूप में ईफाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।</p>			
<p>8. हस्ताक्षर हेतु प्रदत्त बॉक्स में ही कृपया हस्ताक्षर करें।आईटीआर-V में दिए गए बॉक्स के अलावा कहीं और हस्ताक्षर करना अमान्य है।</p>			
<p>"कृपया नोट करें कि यदि आई-आर.टी.V निर्दिष्ट समय के पश्चात् प्राप्त किया गया, आंकड़े अपलोड करने की तिथि से, आई.टी.आर-V प्राप्त करने की तिथि ही रिटर्न दाखिल करने की तिथि मानी जाएगी और अधिनियम के समस्त उपबंध तदनुसार अनुप्रयोज्य होंगे।"</p>			

पावती संख्या:

दाखिल करने की तिथि:

भारतीय आयकर विवरणी पावती		निर्धारण वर्ष	
[जहां आय विवरणी का डाटा आईटीआर-1(सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 ((सुगम))आईटीआर-5, आईटीआर-6, आईटीआर-7 में दायर किए गए तथा सत्यापित किए गए] (कृपया आय-कर नियमावली, 1962 का नियम 12 देखिए)		2023-24	
स्थायी खाता संख्या			
नाम			
पता			
स्थिति		फार्म संख्या	
धारा के अंतर्गत दायर		ई-फाइलिंग पावती संख्या	
कर योग्य आय तथा कर ब्यॉरि	चालू वर्ष बिजनेस क्षति, यदि कोई हो	1	
	कुल आय		
	मैट के अंतर्गत ब्रुक प्रोफिट, जहां लागू हो	2	
	एएमटी के अंतर्गत कुल आय जहां लागू हो	3	
	देय निवल कर	4	
	देय ब्याज तथा फीस	5	
	देय कुल कर, ब्याज तथा फीस	6	
	अदा किया गया कर	7	
	<b>(+) देय कर / (-) वापिस किए जाने योग्य (6-7)</b>	8	
लाभांश वितरण कर ब्यॉरि	देय लाभांश कर	9	
	देय ब्याज	10	
	देय कुल लाभांश कर तथा ब्याज	11	
	अदा किया गया कर	12	
	<b>(+) देय कर / (-) वापिस किए जाने योग्य (11-12)</b>	13	
मान्यता प्राप्त आय तथा कर ब्यॉरि	धारा 115नघ के अनुसार मान्यता प्राप्त आय	14	
	धारा 115नघ के अंतर्गत देय अतिरिक्त कर	15	
	धारा 115नघ के अंतर्गत देय ब्याज	16	
	देय अतिरिक्त कर तथा ब्याज	17	
	अदा किया गया कर तथा ब्याज	18	
	<b>(+) देय कर / (-) वापिस किए जाने योग्य (17-18)</b>	19	
दिनांक..... को इलैक्ट्रानिक संप्रेषित आयकर विवरणी .....आईटी पते से .....द्वारा सत्यापित की गई.....पैन रखने वाले.....को .. .....*पेपर आईटीआर सत्यापन फार्म / इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड का प्रयोग करके .....मोड के माध्यम से सृजित किया गया।			
सिस्टम सृजित बार कोड/क्यू आर कोड			

\* जहां लागू नहीं है, काट दें

इस पावती को सी.पी.सी, बैंगलूरु को नहीं भेजे.

[अधिसूचना सं. 4/2023/फा.सं. 370142/51/2022-टीपीएल]

रमन चोपड़ा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 769 (अ) तारीख 7 अक्टूबर, 2022 द्वारा किया गया था।



(ii)	Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)
(iii)	Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)	(Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

**PART B GROSS TOTAL INCOME** Whole- Rupee( ₹) only

SALARY / PENSION	B1	i		Gross Salary (ia + ib + ic+id+ie)	i	
		a	Salary as per section 17(1)		ia	
		b	Value of perquisites as per section 17(2)		ib	
		c	Profit in lieu of salary as per section 17(3)		ic	
		d	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (country drop down will be provided in e-filing utility)		id	
		e	Income from retirement benefit account maintained in a country other than notified country u/s 89A		ie	
	ii	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) (Ensure that it is included in salary income u/s 17(1)/17(2)/17(3) )		ii		
	iiia	Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A		iiia		
	iii	Net Salary (i – ii-iiia)		iii		
	iv	Deductions u/s 16 (iva + ivb + ivc)		iv		
		a	Standard deduction u/s 16(ia)		iva	
		b	Entertainment allowance u/s 16(ii)		ivb	
		c	Professional tax u/s 16(iii)		ivc	
	v	Income chargeable under the head ‘Salaries’ (iii – iv)		B1		
B2	Tick applicable option <input type="checkbox"/> Self-Occupied <input type="checkbox"/> Let Out <input type="checkbox"/> Deemed Let Out					
HOUSE PROPERTY	i	Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year		i		
	ii	Tax paid to local authorities		ii		
	iii	Annual Value (i – ii)		iii		
	iv	30% of Annual Value		iv		
	v	Interest payable on borrowed capital		v		
	vi	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%		vi		
	vii	Income chargeable under the head ‘House Property’ (iii – iv – v) + vi (If loss, put the figure in negative) Note: - Maximum loss from House Property that can be set-off is INR 2, 00,000. To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -2		B2		
B3	Income from Other Sources (drop down like interest from saving account, deposit etc. to be provided in e-filing utility specifying nature of income and in case of dividend income and Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A, please mention quarterly breakup for allowing applicable relief from section 234C)					
	Less: Deduction u/s 57(iiia) (in case of family pension only)					
	Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A					
B4	Gross Total Income (B1+B2+B3) (If loss, put the figure in negative) Note: To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -2				B4	
<b>PART C – DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME</b> (Refer instructions for Deduction limit as per Income-tax Act.						

80C	80CCC	80CCD(1)	80CCD(1B)	80CCD(2)	80D <i>(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)</i>	80DD <i>(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)</i>	80DDB <i>(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)</i>	80E	80EE	
80EEA	80EEB	80G <i>(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)</i>	80GG	80GGA <i>(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)</i>	80GGC	80TTA	80TTB	80U <i>(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)</i>		
<b>Total deductions</b>					<b>C1</b>	<b>Total Income (B4-C1)</b>			<b>C2</b>	
<b>Exempt Income: For reporting purpose</b>				<i>Drop down to be provided in e-filing utility mentioning nature of exempt income, relevant clause and section</i>						

**PART D – COMPUTATION OF TAX PAYABLE**

D1	Tax payable on total income		D2	Rebate u/s 87A		D3	Tax after Rebate	
D4	Health and education Cess @ 4% on D3		D5	Total Tax and Cess		D6	Relief u/s 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)	
D7	Interest u/s 234A		D8	Interest u/s 234B		D9	Interest u/s 234C	
D10	Fee u/s 234F		D11	Total Tax, Fee and Interest (D5+D7+D8+D9+D10 – D6)				
D12	Total Taxes Paid		D13	Amount payable (D11-D12) (if D11>D12)		D14	Refund (D12-D11) (if D12>D11)	

**PART E – OTHER INFORMATION**

Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)

Sl.	IFS Code of the Bank	Name of the Bank	Account Number	Select Account for Refund Credit
I				

1. Minimum one account should be selected for refund credit.

2. In case of Refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the accounts decided by CPC after processing the return.

**Schedule-IT Details of Advance Tax and Self-Assessment Tax payments**

	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Tax paid
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)
R1				
R2				

**Schedule-TDS Details of TDS/TCS [As per Form 16/16A/16C/27D issued by the Deductor(s)/ Employer(s)/ Payer(s)/ Collector(s)]**

	TAN of deductor/Collector or PAN/ Aadhaar No. of the Tenant	Name of the Deductor/ Collector/Tenant	Gross payment/ receipt which is subject to tax deduction /collection	Year of tax deduction/ collection	Tax Deducted/ collected	TDS/TCS credit out of (5) claimed this Year
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)	Col (5)	Col (6)
T1						
T2						

## VERIFICATION

Stamp Receipt No., Seal,  
Date & Sign of Receiving  
Official

I, \_\_\_\_\_ son/ daughter of \_\_\_\_\_ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as \_\_\_\_\_ (drop down to be provided in e-filing utility) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number \_\_\_\_\_. (Please see instruction).

Date:

Signature:

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:

Identification No. of TRP	Name of TRP	Counter Signature of TRP
If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof		

FORM No.	ITR-2	<b>INDIAN INCOME TAX RETURN</b> [For Individuals and HUFs not having income from profits and gains of business or profession] (See rule 12) (Please refer instructions)	Assessment Year					
			2	0	2	3	-	2

## Part A-GEN

## GENERAL

PERSONAL INFORMATION	(A1) First name	(A2) Middle name	(A3) Last name	(A4) PAN	
	(A6) Flat/Door/Block No.	(A7) Name of Premises/Building/Village		(A5) Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> HUF	
	(A8) Road/Street/Post Office	(A14) Date of Birth/ Formation (DD/MM/YYYY)			
	(A9) Area/locality	(A15) Aadhaar Number (12 digit) / Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (if eligible for Aadhaar)			
	(A10) Town/City/District	(A11) State	(A13) PIN code/ZIP code		
		(A12) Country			
	(A16) Residential/Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1	(A17) Mobile No. 2			
	(A18) E-mail Address-1 (self)	(A19) E-mail Address-2			
	(A20)	(a1i) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]	<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised Return, <input type="checkbox"/> 92CD-Modified return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)-After condonation of delay		
		(a1ii) Or filed in response to notice u/s	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153C		
FILING STATUS	(a2)	Are you opting for new tax regime u/s 115BAC? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
	(b)	Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? - (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information [Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]			
	(bi)	Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)		
	(bii)	Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)		
	(biii)	Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)		



(biv)	Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)					(Tick) o Yes o No														
(c)	If Revised/Defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)					/ /														
(d)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b) enter Unique Number/ Document Identification Number (DIN) and date of such Notice/Order, or if filed u/s 92CD, enter date of Advance Pricing Agreement					(Unique Number)	/ /													
(e)	Residential Status in India (for individuals) (Tick applicable option)	A. Resident	<input type="checkbox"/> You were in India for 182 days or more during the previous year [section 6(1)(a)] <input type="checkbox"/> You were in India for 60 days or more during the previous year, and have been in India for 365 days or more within the 4 preceding years [section (6)(1)(c)] [where Explanation 1 is not applicable] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India, who left India, for the purpose of employment, as a member of the crew of an Indian ship and were in India for 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years [Explanation 1(a) of section (6)(1)(c)] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India or a person of Indian origin and have come on a visit to India during the previous year and were in India for a) 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years; or b) 120 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years if the total income, other than income from foreign sources, exceeds Rs. 15 lakh. [Explanation 1(b) of section (6)(1)(c)]																	
		B. Resident but not Ordinarily Resident	<input type="checkbox"/> You have been a non-resident in India in 9 out of 10 preceding years [section 6(6)(a)] <input type="checkbox"/> You have been in India for 729 days or less during the 7 preceding years [section 6(6)(a)] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India or person of Indian origin, who comes on a visit to India, having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh and have been in India for 120 days or more but less than 182 days during the previous year [section 6(6)(c)] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh during the previous year and not liable to tax in any other country or territory by reason of your domicile or residence or any other criteria of similar nature [section 6(6)(d) rws 6(1A)]																	
		C. Non-resident	<input type="checkbox"/> You were a non-resident during the previous year.  (i) Please specify the jurisdiction(s) of residence during the previous year - <table border="1"> <thead> <tr> <th>S.No.</th> <th>Jurisdiction(s) of residence</th> <th>Taxpayer Identification Number(s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (ii) In case you are a Citizen of India or a Person of Indian Origin (POI), please specify - <table border="1"> <thead> <tr> <th>Total period of stay in India during the previous year (in days)</th> <th>Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					S.No.	Jurisdiction(s) of residence	Taxpayer Identification Number(s)	1			2			Total period of stay in India during the previous year (in days)	Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)		
S.No.	Jurisdiction(s) of residence	Taxpayer Identification Number(s)																		
1																				
2																				
Total period of stay in India during the previous year (in days)	Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)																			
	Residential Status in India (for HUF) (Tick applicable option)	D. <input type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Resident but not Ordinarily Resident <input type="checkbox"/> Non-resident																		
(f)	Do you want to claim the benefit under section 115H? (applicable in case of resident)					<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No														
(g)	Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? Tick <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If "YES" please fill Schedule 5A)																			
(h)	Whether you are an FII / FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No																			
(i)	Whether this return is being filed by a Representative Assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information -																			
	(1)	Name of the Representative																		
	(2)	Capacity of the Representative (drop down to be provided)																		
	(3)	Address of the Representative																		
	(4)	Permanent Account Number (PAN)/ Aadhaar No. of the Representative																		
(j)	Whether you were Director in a company at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information -																			
	Name of Company	of	Type of company	PAN	Whether its shares are listed or unlisted	Director Identification Number (DIN)														

			(Drop down to be provided)											
(k)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
	If yes, please furnish following information in respect of equity shares													
	Name of company	Type of Company	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year				Shares transferred during the year		Closing balance		
	(Drop down to be provided)			No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)**

<b>Schedule S</b>		<b>Details of Income from Salary</b>													
Name of Employer				Nature of employer (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> (drop down to be provided)						TAN of Employer (mandatory if tax is deducted)					
Address of employer				Town/City			State			PIN code/ ZIP code					
<b>1</b>	<b>Gross Salary (1a + 1b + 1c+1d+1e)</b>										<b>1</b>				
	a	Salary as per section 17(1) (drop down to be provided)							1a						
	b	Value of perquisites as per section 17(2) (drop down to be provided)							1b						
	c	Profit in lieu of salary as per section 17(3) (drop down to be provided)							1c						
	d	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (choose country from drop down menu)							1d						
	e	Income from retirement benefit account maintained in a country "other than notified country u/s 89A"							1e						
	f	Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year.							1f						
(Add multiple rows for Gross Salary in case of more than one employer)															
<b>2</b>	<b>Total Gross Salary (from all employers)</b>										<b>2</b>				
<b>3</b>	<b>Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) (please refer instructions)</b> <b>(Note: Ensure that it is included in Total Gross salary in (2) above )</b>										<b>3</b>				
<b>3(a)</b>	<b>Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A</b>										<b>3a</b>				
<b>4</b>	<b>Net Salary (2 – 3 – 3a)</b>										<b>4</b>				
<b>5</b>	<b>Deduction u/s 16 (5a + 5b + 5c)</b>										<b>5</b>				
	a	Standard deduction u/s 16(ia)							5a						
	b	Entertainment allowance u/s 16(ii)							5b						
	c	Professional tax u/s 16(iii)							5c						
<b>6</b>	<b>Income chargeable under the head 'Salaries' (4 - 5)</b>										<b>6</b>				

SALARIES

<b>1</b>	Address of property 1		Town/ City		State		Country		PIN Code/ ZIP Code	
Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)										
Your percentage of share in the property (%) <input style="width:100px;" type="text"/>										
Name of Co-owner(s)			PAN/Aadhaar No. of Co-owner(s)			Percentage Share in Property				
I										
II										
/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option] Name(s) of PAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) PAN/TAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)										
<input type="checkbox"/> Let out (if let out)										
<input type="checkbox"/> Self-occupied										
<input type="checkbox"/> Deemed let out										
I										
II										
a Gross rent received or receivable or lettable value 1a										
b The amount of rent which cannot be realized 1b										
c Tax paid to local authorities 1c										
d Total (1b + 1c) 1d										
e Annual value (1a – 1d) (nil if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act) 1e										
f Annual value of the property owned (own percentage share x 1e) 1f										
g 30% of 1f 1g										
h Interest payable on borrowed capital 1h										
i Total (1g + 1h) 1i										
j Arrears/Unrealized rent received during the year less 30% 1j										
k Income from house property 1 (1f – 1i + 1j) 1k										
<b>2</b>	Address of property 2		Town/ City		State		Country		PIN Code/ ZIP Code	
Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)										
Your percentage of share in the property. (%) <input style="width:100px;" type="text"/>										
Name of Co-owner(s)			PAN/ Aadhaar No. of Co-owner(s)			Percentage Share in Property				
I										
II										
/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option] Name(s) of PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) PAN/TAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)										
<input type="checkbox"/> Let out (if let out)										
<input type="checkbox"/> Self-occupied										
<input type="checkbox"/> Deemed let out										
I										
II										
a Gross rent received/ receivable/ lettable value 2a										
(higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)										
b The amount of rent which cannot be realized 2b										
c Tax paid to local authorities 2c										
d Total (2b + 2c) 2d										
e Annual value (2a – 2d) 2e										
f Annual value of the property owned (own percentage share x 2e) 2f										
g 30% of 2f 2g										
h Interest payable on borrowed capital 2h										
i Total (2g + 2h) 2i										
j Arrears/Unrealized rent received during the year less 30% 2j										
k Income from house property 2 (2f – 2i + 2j) 2k										

HOUSE PROPERTY

3	Pass through income/loss if any *	3	
4	Income under the head "Income from House Property" (1k + 2k + 3) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)	4	
<b>NOTE ▶</b>	Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI and Pass through income referred to in schedule PTI while computing the income under this head.		
<b>NOTE ▶</b>	Furnishing of PAN/ Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.		

**Schedule CG Capital Gains**

<b>A</b>	<b>Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 3 and 4 are not applicable for residents)</b>									
<b>Short-term Capital Gains</b>	<b>1</b>	<b>From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)</b>								
	<b>a</b>	<b>i</b>	Full value of consideration received/receivable				<b>ai</b>			
		<b>ii</b>	Value of property as per stamp valuation authority				<b>aii</b>			
		<b>iii</b>	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]				<b>aiii</b>			
	<b>b</b>	<b>Deductions under section 48</b>								
		<b>i</b>	Cost of acquisition without indexation				<b>bi</b>			
		<b>ii</b>	Cost of Improvement without indexation				<b>bii</b>			
		<b>iii</b>	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				<b>biii</b>			
		<b>iv</b>	Total (bi + bii + biii)				<b>biv</b>			
	<b>c</b>	Balance (aiii – biv)				<b>1c</b>				
	<b>d</b>	Deduction under section 54B (Specify details in item D below)				<b>1d</b>				
	<b>e</b>	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)							<b>A1e</b>	
	<b>f</b>	<b>In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)</b>								
		<b>S. No.</b>	<b>Name of buyer(s)</b>	<b>of PAN/ Aadhaar No. of buyer(s)</b>	<b>Percentage share</b>	<b>Amount</b>	<b>Address of property, country code, ZIP code</b>	<b>Pin code</b>	<b>State</b>	
<b>NOTE ▶</b>	Furnishing of PAN/ Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-1A or is quoted by buyer in the documents In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.									
<b>2</b>	<b>From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII)</b>									
	<b>a</b>	Full value of consideration					<b>2a</b>			
	<b>b</b>	<b>Deductions under section 48</b>								
		<b>i</b>	Cost of acquisition without indexation				<b>bi</b>			
		<b>ii</b>	Cost of Improvement without indexation				<b>bii</b>			
		<b>iii</b>	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				<b>biii</b>			
	<b>iv</b>	Total (i + ii + iii)				<b>biv</b>				
	<b>c</b>	Balance (2a – biv)					<b>2c</b>			
<b>d</b>	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)					<b>2d</b>				
<b>e</b>	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (2c + 2d)							<b>A2e</b>		
<b>3</b>	<b>For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)</b>									
	<b>a</b>	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid						<b>A3a</b>		
	<b>b</b>	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid						<b>A3b</b>		
<b>4</b>	<b>For NON-RESIDENT- from sale of securities (other than those at A2) by an FII as per section 115AD</b>									